राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 31 अंक 4 अप्रैल 2010 नई दिल्ली मूल्य 5 रु. पेज 32

किशनगंज में असुवि की शाखा खोलने के विरोध में पटना में प्रदर्शन

अभाविप लड़ेगी आर-पार की लड़ाई

शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ अभाविप का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपते हुए

म.प्र. विधान सभा के समक्ष विद्यार्थी परिषद् का प्रभावी प्रदर्शन

बेलगांव में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता एवं विशाल जनसमुदाय

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक:
आशुतोष

सम्पादक मण्डल:
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

फोन : 011-43098248
E-mail : chhatrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

मुद्रक और प्रकाशक राजकुमार शर्मा द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट कैम्पस, यूनिवर्सिटी एरिया, दिल्ली-110007 के लिए प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के.30 नवीन शहादरा, दिल्ली. 32 द्वारा मुद्रित

अनुक्रमणिका

विषय	लेखक	पृ.सं.
सम्पादकीय		4
'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का लोकार्पण संपन्न		5
अमुवि : अभाविप लड़ेगी आर-पार की लड़ाई		6
म.प्र. विधानसभा पर अभाविप का विरोध प्रदर्शन		8
नक्सलवाद को कुचलना होगा	आशुतोष	9
... बहुत हो गया, अब सख्त कार्रवाई का वक्त	संजीव कुमार सिन्हा	11
धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक	उमाशंकर मिश्र	13
आरक्षण की कमजोर कड़ी		
साक्षात्कार : बी. सुरेन्द्रन		16
दायित्वबोध : डॉ. बी.आर. अम्बेडकर	अशोक राव मोडक	18
गंगा - एक राष्ट्रीय अस्मिता		21
अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन का आधार	प्रो. बाळ आपटे	24
परिचर्चा : छात्र-आत्महत्या		29
कविता : मेघ फूलों की प्रतीक्षा	पुरुषोत्तम पंचोली	30

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पत्रिका 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' एक बार पुन: आपके सम्मुख प्रस्तुत है। एक बार फिर एक नए कलेवर और नयी उमंग के साथ इसके प्रकाशन का दायित्व नयी सम्पादकीय टोली ने लिया है।

यूं तो राष्ट्रीय छात्रशक्ति का प्रकाशन सर्वप्रथम 1978 में प्रारम्भ हुआ। राज्यसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली इसके पहले सम्पादक थे। तीस वर्षों के इस लम्बे अंतराल में पत्रिका का प्रकाशन अनेक बार रुका और पुन: प्रारम्भ हुआ। सर्वश्री महेश शर्मा, महावीर दत्त गिरि, ललित बिहारी गोस्वामी, मुकेश अग्रवाल, श्रीरंग कुलकर्णी, काशीनाथ, नितिन शर्मा, संजीव सिन्हा, आशीष अंशु तथा उमाशंकर मिश्र आदि कार्यकर्ताओं की एक लम्बी शृंखला है, जिन्होंने समय-समय पर पत्रिका को चलाने में अपना समय और श्रम लगाया।

यहां यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस प्रकार योजनापूर्वक और औपचारिक उद्‌घाटन के साथ सम्भवत: इसका पहली बार लोकार्पण हुआ है। यह भी विचार किया गया है कि शिक्षा क्षेत्र व परिषद् से जुड़ी घटनाओं के सूचना व समाचार के अतिरिक्त समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के प्रबोधन का दायित्व भी पत्रिका को लेना चाहिए।

परिषद से जुड़े रहे तमाम कार्यकर्ता समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रकाश स्तम्भ की भांति खड़े हैं और सम्बंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी उपलब्धियां तथा उनके जीवन की दिशा के निर्धारण में परिषद की भूमिका की जानकारी वर्तमान कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का कार्य भी यदि प्रभावी रूप से किया जा सका तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकेगा। राष्ट्रीय छात्रशक्ति 'आज का छात्र आज का नागरिक' और 'छात्रशक्ति-राष्ट्रशक्ति' जैसे सूत्र देने वाले छात्र संगठन के मुखपत्र के रूप में वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम युवा नेतृत्व गढ़ने के लिए आवश्यक वैचारिक प्रबोधन का प्रमुख स्रोत बने, यह अपेक्षा स्वाभाविक ही है।

संपादकीय टोली द्वारा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ विमर्श कर पत्रिका को उपयुक्त कलेवर देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत संपादकीय टोली में नये लोगों को जोड़ना, नए स्तंभ प्रारंभ करना तथा विषयों के प्रस्तुति को सहज, सरल और बोधगम्य बनाने के प्रयास जारी हैं। आने वाले अंकों में आप इन परिवर्तनों को स्पष्ट अनुभव कर सकेंगे।

पत्रिका के कलेवर, स्तंभ और विषयवस्तु के संदर्भ में आपके मूल्यवान सुझाव पत्रिका को उपयोगी बनाने में सहयोगी होंगे। आप अपने सुझावों से सम्पादकीय टोली को पत्र अथवा ईमेल द्वारा अवगत करा सकते हैं। सार्वजनिक हित के सुझावों तथा विचारों को पाठकों के पत्र-स्तंभ में प्रकाशित भी किया जायेगा।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति को आप अपने ईमेल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पत्रिका के ईमेल पते पर अपना संदेश भेज सकते हैं। आप यदि कुछ अन्य लोगों के नाम भी इस सूची में जोड़ना चाहते हैं तो उनका ईमेल पता भी भेजने का कष्ट करें।

शुभकामना सहित,

आशुतोष

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का लोकार्पण संपन्न

अभाविप की मासिक पत्रिका 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का लोकार्पण समारोह 16 मार्च, 2010, को दीनदयाल शोध संस्थान, झंडेवालान नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के नाते बोलते हुये अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने कहा कि जब से संचार की नई क्रांति आई है, तब से उतना बदलाव व्यापक रुप से हुआ है जितना कभी नहीं हुआ है। सही रुप से सही जानकारी और सही विश्लेषण लोगों के पास जाये। विद्यार्थी का दृष्टिकोण क्या हो? नई-नई बातें जो आती है उसे छात्रों तक कैसे पहुंचाया जाये? इसके लिये छात्रशक्ति की आवश्यकता है। छात्रशक्ति छात्र आंदोलन को व्यापक गति देगी। साथ ही विद्यार्थियों के लिये फिर से साहित्य लेखन की शुरुआत होगी।

पत्रिका के प्रकाशक श्री राजकुमार शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली विश्व का अग्रणी छात्र संगठन है जिसे छात्रशक्ति नई ऊर्जा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

वहीं लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. मिलिंद मराठे ने कहा कि स्वाधीनता पूर्व के समय से ही भारत में हर नेतृत्वकर्ता का मुखपत्र राष्ट्रीय विचार को व्यक्त करने के लिए प्रकाशित होता रहा है जिसमें अंग्रेजों के दमन के विरोध में राष्ट्र प्रेम की सरिता प्रवाहित होती थी। आज के बाजारीकरण के युग में राष्ट्रीय विचार को व्यक्त करने के लिये अभाविप जैसे स्वतंत्र छात्र संगठन का एक खुद का मुखपत्र होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय, समाजिक विविध विषयों पर विद्यार्थी परिषद् लगातार कार्य करता आ रहा है। परिषद् का अपना सुविचार प्रखर रूप से छात्रों के सम्मुख आए इसके लिये इसका अपना मुखपत्र होना चाहिए जिसका स्वरुप छात्र शक्ति के रूप में है।

पत्रिका के संपादक श्री आशुतोष ने कहा कि किसी भी संगठन या देश को अपनी भावनाएं और विचार रखने के लिये ऐसी पत्रिका की आवश्यकता होती है। देश के जरूरत के अनुसार कार्यकर्ताओं के प्रबोधन के लिये छात्रशक्ति का संपादन हुआ है।

राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका का लोकार्पण करते हुए (बाएं से) पत्रिका के सम्पादक श्री आशुतोष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. मिलिंद मराठे तथा राजकुमार शर्मा

मंच से पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य नितिन शर्मा, संजीव कुमार सिन्हा, उमाशंकर मिश्र और आशीष कुमार 'अंशु' को सम्मानित किया गया। लोकार्पण समारोह में मुख्य रूप से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजकुमार भाटिया, प्रो. रामनरेश सिंह, राज्यसभा सदस्य श्री बाळ आपटे एवं पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्री नकुल भार्गव आदि ने भाग लिया। मंच संचालन विद्यार्थी परिषद्, दिल्ली प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अरविन्द गर्ग ने किया।■

किशनगंज में अमुवि की शाखा खोलने के विरोध में पटना में प्रदर्शन

अभाविप लड़ेगी आर-पार की लड़ाई

यह बानगी है राज्य में चल रहे गठबंधन सरकार के पुलिस तानाशाही की। पुलिस की नृशंस कार्रवाई के शिकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) के कार्यकर्ता कोई और नहीं बल्कि उस व्यापक विचार परिवार से आते हैं जिससे सम्बंधित गठबंधन सरकार में शामिल भाजपा भी है।

किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलने के विरोध में अभाविप के बैनर तले 29 मार्च को आंदोलन का शंखनाद कर रहे छात्र और पुलिस आमने-सामने हो गए। आर ब्लॉक चौराहा पर जमकर भिड़ंत हुई। दोनों ओर से ईंट-पत्थर चले। स्थिति को नियंत्रण करने के नाम पर पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां चटकाई और अश्रु गैस के गोले भी छोड़े। इस संघर्ष में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके अलावा छात्रों का एक दल मीठापुर होते हुए विधानसभा के द्वार पर पहुंच कर प्रदर्शन कर रहा था। इन छात्रों पर पुलिस की सबसे ज्यादा बर्बरता हुई। यहां कई छात्रों को गंभीर चोटें आई। ऐसी सूचना भी है कि कुछ छात्रों को पुलिस गिरफ्तारी के नाम पर सचिवालय थाना ले गई और वहां जाकर इन छात्रों को फिर से मारा-पिटा गया। पुलिस की पिटाई से परिषद् के पटना विश्वविद्यालय संगठन मंत्री उमाशंकर भारती, सर्वजीत शांडिल्य, मुजफ्फरपुर के राजीव रंजन समेत कई छात्र घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए। बार-बार आग्रह करने पर भी पुलिस की ओर से इन्हें अस्पताल पहुंचाने की तुरंत कोई व्यवस्था नहीं की गई। राजीव रंजन के सर से लगातार खून बहता रहा। मजबूरन उन्हें परिषद् का ही एक कार्यकर्ता किसी तरह मोटर साईकिल से गार्डिनर रोड अस्पताल ले गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें पटना मेडिकल कालेज अस्पताल (पीएमसीएच) ले जाने की सलाह दी। श्री रंजन की स्थिति खबर लिखे जाने तक गंभीर बनी हुई है। वहीं नवादा के अध्यापक प्रो. अंजनी कुमार पाण्डेय की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। प्रो. पाण्डेय ने जब अपना परिचय दिया और बताया कि वे छात्रों के साथ आए हैं तो पुलिस का गुस्सा और भड़क गया। प्रो. पाण्डेय को न सिर्फ बेतों से बल्कि जूतों से भी पिटा गया। प्रो. पाण्डेय कराहते रहे और पुलिस की बर्बरता बढ़ती

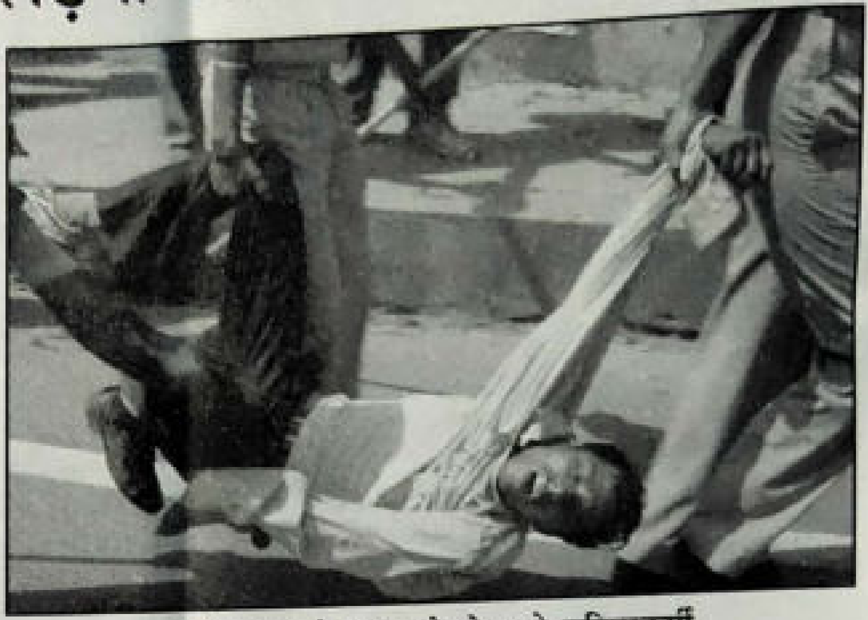

प्रदर्शन कर रहे छात्र को ले जाते पुलिसकर्मी

छात्र की पीठ पर घाव के निशान

जा रही थी। इस क्रम में परिषद् के अखिल भारतीय मंत्री श्री रमाशंकर सिन्हा एवं प्रदेश मंत्री श्री राजेश कुमार का हाथ टूट गया।

परिषद् के राष्ट्रीय मंत्री रमाशंकर सिन्हा ने बताया कि पुलिस बर्बरता के कारण 65 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। जबकि सैकड़ों छात्र पुलिस द्वारा दौड़ा-दौड़ा कर पिटे गए। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुकी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ईकाई बिहार में खोलने का कोई औचित्य नहीं है फिर भी सरकार मुस्लिम वोट की लालच में यह ईकाई खोल रही है। परिषद् के प्रदेश संगठन मंत्री श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि हमारा विरोध किशनगंज को लेकर नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर है। परिषद् बिहार में कहीं भी इस विश्वविद्यालय की ईकाई खोलने का पुरजोर विरोध करेगी। अगर सरकार को लगता है कि वह इलाका पिछड़ा है तो किसी भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय खोला जा सकता है। दूसरे राज्य का विश्वविद्यालय प्रदेश में खोलना यहां की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार अगर चाहती है तो वहां आईआईटी नेशनल लॉ स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, सरीखी कोई प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज भी खोल सकती है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से विधान परिषद् में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि अति संवेदनशील क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।

ज्ञात हो कि पूर्व में भी विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं पर इसी प्रकार बल का प्रयोग किया गया था। 5 अगस्त, 2008 को जब परिषद् के कार्यकर्ता प्रदेश के शिक्षामंत्री श्री हरिनारायण सिंह के आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे तो मंत्री के सुरक्षाकर्मियों द्वारा इन छात्रों की जबरदस्त पिटाई की गई थी। दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। परंतु पुलिस ने परिषद् के कार्यकर्ताओं की प्राथमिकी खारिज कर दी तथा मंत्री के प्राथमिकी पर कार्रवाई शुरू कर दी। उस समय प्रदेश में शिक्षकों की लम्बे समय से हड़ताल चल रही थी। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बहाल करने के लिए ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। आज तक वह केस चल रहा है। परिषद् के कार्यकर्ता सरकार में शामिल भाजपा के मंत्रियों की चुप्पी पर अवाक हैं क्योंकि इसमें परिषद् के कई पूर्व कार्यकर्ता हैं।

अभाविप के क्षेत्रिय संगठन मंत्री दिनेश जी के अनुसार यह सारा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ईकाई को किशनगंज में खोलने से संबंधित है। केन्द्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ईकाई छः स्थानों पर खोलने का निर्णय किया था। किशनगंज का विशेष केन्द्र शीघ्र प्रारंभ करने के लिए विगत 4 फरवरी, 2009 को वहां के कुलपति के नेतृत्व में एक टीम बिहार आई थी। टीम में पावर प्रेजेन्टेशन के द्वारा मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने 27 मार्च, 2010 को विश्वविद्यालय की ईकाई के लिए 243.76 एकड़ जमीन लगभग मुफ्त में आवंटन कर दी। कैबिनेट के इस फैसले में संस्थान द्वारा 10 रुपया टोकन सलामी तथा एक रुपया वार्षिक लगान पर 30 वर्षों के लिए जमीन लीज पर दी गई। इसमें लीज पर नवीकरण विकल्प भी शामिल है।

किशनगंज से मात्र 110 कि.मी. दूर पर बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में विश्वविद्यालय की एक अन्य ईकाई भी खोली जा रही है। किशनगंज में ही सीमा सुरक्षा बल द्वारा 15 वर्ष पूर्व जमीन उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ रुपया जमा किया गया था लेकिन सरकार द्वारा आज तक एक इंच जमीन भी उपलब्ध नहीं कराई गई।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इतिहास देशभक्ति का नहीं रहा है। 1990-91 में विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रध्वज जलाया गया था। अगस्त 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वालों में इस विश्वविद्यालय के छात्र भी थे। 1992-93 में विश्वविद्यालय के छात्र कश्मीर में ए.के. 56 के साथ पकड़े गए थे। विश्वविद्यालय परिसर में आज भी राजभाषा में कोई भी सूचना बोर्ड नहीं है। देश के प्रमुख आतंकवादी वारदातों का तार किसी न किसी रूप में इस विश्वविद्यालय या यहां के छात्रों से जुड़ा रहता है। ■

प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्रसंघ चुनाव हो एवं शिक्षा का व्यावसायीकरण बंद हो

म.प्र. विधानसभा पर अभाविप का विरोध प्रदर्शन

शिक्षा के व्यावसायीकरण के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के आह्वान पर म.प्र. के विभिन्न भागों से आये हजारों छात्रों ने छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाये जाने एवं शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाते हुए फीस कम किए जाने की मांग को लेकर विधानसभा के समक्ष प्रभावी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने किया।

श्री शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन तो शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरुद्ध संघर्ष की शुरूआत है, अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद नहीं हुआ तो यह आंदोलन आगामी समय में और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, साथ ही छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं हुए तो पूरे प्रदेश की छात्रशक्ति इन मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगी।

विधानसभा की ओर बढ़ने से पूर्व दशहरा मैदान पर अभाविप ने छात्रसभा की जिसे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री अश्विनी परांजपे एवं मध्य भारत प्रान्त मंत्री सुश्री भारती कुम्भारे ने सम्बोधित किया।

अभाविप ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश में सभी निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा अनिवार्य रूप से करवाया जाये। सभा का संचालन महाकोशल प्रांत मंत्री श्री ब्रजेन्द्र गौतम ने किया। प्रदर्शन के पश्चात् अभाविप का एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री एवं उच्चशिक्षा मंत्री से मिला तथा ज्ञापन प्रेषित कर मांग की, कि मध्य प्रदेश सरकार जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली को करवाये। यह चुनाव सभी निजी एवं सरकारी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से हो तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाते हुए फीस कम की जाये।

प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री ने अभाविप की दोनों मांगों को जायज ठहराते हुए प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इन दोनों विषयों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर निर्णय लिए जायेंगे। ■

नक्सलवाद को कुचलना होगा

■ आशुतोष

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलवादियों ने चिंतलनार और टारमेटला गांव के बीच घने जंगलों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों की हत्या कर दी। यह अभी तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला है।

हमले के बाद पारम्परिक सरकारी कवायद शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री से बात की। गृहमंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया। विपक्ष ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सरकार के साथ खड़े होने की बात कही। उम्मीद है कि थोड़े सोच-विचार और राजनैतिक गुणा-भाग के बाद संप्रग अध्यक्ष भी खेद प्रकट कर देंगी।

नक्सलियों ने यह आक्रमण उस समय किया है जबकि सरकारी विज्ञप्तियां बता रही थीं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के चलते नक्सलवादी हताश हो गए हैं, पीछे हट रहे हैं, उकने अधिकांश बड़े नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या मारे जा चुके हैं।

स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि यह हमला न केवल सत्ता को सीधी चुनौती है बल्कि सशस्त्र बलों द्वारा जारी खबरों के खोखलेपन और ऑपरेशन के दौरान भारी रणनीतिक चूक का दर्शन भी कराता है। सम्भवत: इसके पीछे नक्सलियों की काल्पनिक हताशा से उपजा अतिआत्मविश्वास और बंदूक के बल पर उन्हें चुटकियों

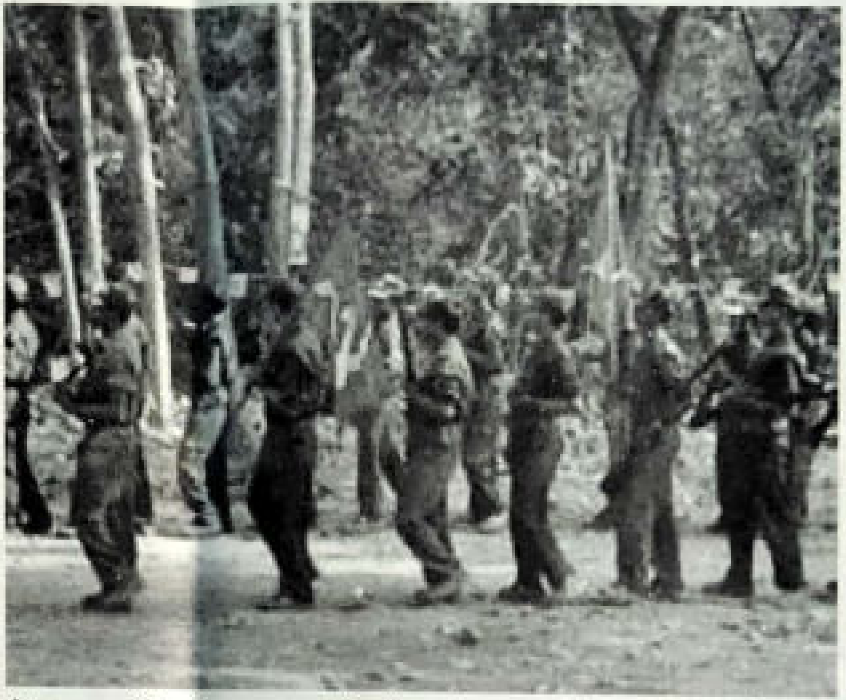

में मसल देने की गलतफहमी भी है।

पिछली आधी शताब्दी नक्सलियों

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने ऐसी सभी राष्ट्रघातक प्रवृत्तियों का सतत् विरोध किया है। अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद भी परिषद् ने संघर्ष जारी रखा है। आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल सहित देशभर के विद्यालयों, विश्वविद्यालय परिसरों में छाये नक्सली आतंक के खिलाफ परिषद् के कार्यकर्ता अपने प्राणों की परवाह किए बिना ताल ठोंक कर खड़े हैं।

के कहर की गवाह रही है। कभी इस तो कभी उस राजनैतिक दलों द्वारा इन नक्सली हत्यारों से परदे के पीछे से हाथ मिलाने और उसके बल पर सत्ता पर काबिज होने के खेल की भी। अपने निहित स्वार्थों के लिए राजनैतिक दलों ने इन अपराधियों को पाला-पोसा है।

नक्सलवादियों ने इन वर्षों में हजारों लोगों की हत्या की है। मरने वाले इन लोगों में अधिकांश वे ग्रामीण और वनवासी हैं जो दो जून की रोटी के लिए भी मजबूर हैं। सामंतों के खिलाफ बंदूकें उठाने वाले नक्सली निरीह लोगों पर कहर बरपाते हैं।

जंगलों में इस हिंसक अभियान में लगे इन नक्सलियों के वैचारिक समर्थन और उन्हें नायक बनाकर प्रस्तुत करने वाले बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों

की एक पूरी फौज है। सत्ता प्रतिष्ठानों में उनके हिमायती बैठे हैं। थियेटर, इलेक्ट्रानिक मीडिया और सिनेमा जगत में उनके समर्थक भरे पड़े हैं।

हिंसा को अच्छी और बुरी श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता। नरोदा पाटिया और गुलमर्ग सोसायटी में हुई हिंसा पर बरसों से छाती कूट रहे सेकुलरों के मुंह से चितलनार और रानी बोधली नरसंहार पर बोल नहीं फूटते। इसके विपरीत जो लोग नक्सली हिंसा या आतंकवाद की आलोचना करते हैं वे इन सेकुलरों के निशाने पर रहते हैं।

सरकार घने जगलों में चल रही भारत विरोधी इन गतिविधियों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी से बचने और कड़ी कार्रवाई करने से बचने के लिए तरह-तरह के बहाने बनाती रही है। इसी के चलते यह समस्या आज इतनी गंभीर हो गयी है कि भारत की केन्द्रीय सत्ता को नकारने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

नक्सलवादी भले ही जंगलों में तैयार किए जाते हैं लेकिन उनको आधुनिक हथियार बाहर से ही मिलते हैं। अधिकांश भारत के बाहर से। विदेशों से आने वाली हथियारों और पैसों की इस खेप को सीमा पर ही

समय आ गया है जब नक्सलवाद को पूरी तरह कुचल दिया जाय। यदि अभी भी सरकार ने इनका सम्पूर्ण दमन नहीं किया तो यह देश की सम्प्रभुता को दांव पर लगाना ही कहा जायेगा।

रोकने अथवा कम से कम जंगलों तक उनके पहुंचने पर रोक लगाने का काम सरकार का है और गृह मंत्रालय इसके लिए सीधे जिम्मदार है।

जो राष्ट्रवादी संगठन इन शक्तियों और प्रवृत्तियों का विरोध करते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने ऐसी सभी राष्ट्रघातक प्रवृत्तियों का सतत् विरोध किया है। अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद भी परिषद् ने संघर्ष जारी रखा है। आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल सहित देशभर के विद्यालयों, विश्वविद्यालय परिसरों में छाये नक्सली आतंक के खिलाफ परिषद् के कार्यकर्ता अपने प्राणों की परवाह किए बिना ताल ठोंक कर खड़े हैं। अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी इन हुतात्माओं के बलिदान का स्मरण करते हुए यह रेखांकित करना आवश्यक है कि समय आ गया है जब नक्सलवाद को पूरी तरह कुचल दिया जाय। यदि अभी भी सरकार ने इनका सम्पूर्ण दमन नहीं किया तो यह देश की सम्प्रभुता को दांव पर लगाना ही कहा जायेगा। ■

बेलगांव में 'रंग दे बसंती' श्रद्धाजंलि समारोह संपन्न

अभाविप की बेलगाव इकाई के द्वारा मातृभूमि के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू के बलिदान दिवस 23 मार्च को 'रंग दे बसंती' श्रद्धाजंली समारोह का आयोजन शहर के विख्यात मिलेनियम गार्डन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की विशिष्टता रही इसमें 1000 विद्यार्थी सहित 2000 नागरिक भी उपस्थित थे। बेंगलुरु के संस्कार भारती के प्रसिद्ध संगीत समूह ने 3 घंटे तक अपनी कला का प्रर्दशन किया। उन्होंने 10 से ज्यादा देशभक्त के गीतों का गायन हिन्दी व कन्नड़ में किया। चक्रवर्ती ने कार्यक्रम में प्रत्येक गीत के पहले संचालन से श्रोताओं को अभिभूत किया। कार्यक्रम की शुरूआत अतिथियों के द्वारा प्रज्जवलन से की गयी। प्रो. संदीप नायर ने अतिथि परिचय व स्वागत किया। उसके पश्चात् कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय मंत्री श्री रवि कुमार ने अभाविप की राष्ट्रनिर्माण के लिए चल रही अनवरत यात्रा पर प्रकाश डाला। नगर सहमंत्री के. अम्बिका देशपांडे ने गीत गाकर कार्यक्रम की शुरूआत की। कार्यक्रम में मुख्यअतिथि श्री मल्लिकार्जुन (प्रमुख उद्योगपति) रहें। उन्होंने हमारे देश की संस्कृति एवं धरोहर के बारे में जानकारी दी। नगर मंत्री वैभव देशपांडे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 35 कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से शहर के 35 कॉलेजों के 4000 छात्रों से सम्पर्क किया। बेलगांव शहर में पहली बार किसी संगठन के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ■

... बहुत हो गया, अब सख्त कार्रवाई का वक्त

■ संजीव कुमार सिन्हा

एक तरफ दिल्ली में 7 फरवरी, 2010 को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कहते हैं, 'नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है।' वहीं दूसरी ओर, 4 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद प्रभावित इलाकों-लालगढ़ और मिदनापुर के दौरे पर गए हमारे गृहमंत्री पी. चिदंबरम माओवाद विरोधी अभियान में सेना को शामिल किए जाने की मांग ठुकराते हुए कहते हैं, 'हमने माओवादियों के सामने वार्ता का ताजा प्रस्ताव रखा है।' और इस दौरे के महज दो दिन बाद 06 अप्रैल, 2010 को नक्सली छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बर्बर हमले कर सीआरपीएफ के 76 जवानों को घेर कर मार डालते हैं। वास्तव में नक्सलियों ने लोकतांत्रिक भारत के अस्तित्व को चुनौती दी है।

नक्सलियों को नेस्तनाबूत करने का साहस गृहमंत्री को दिखाना चाहिए तो इसकी बजाय वो अच्छी अंग्रेजी में पिलपिला बयान देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। **सवाल ये है कि आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? कब तक गरीब, आदिवासियों, किसानों की लाशें ढेर होती रहेंगी? कब तक हमारे जवान नालायक नेताओं की वजह से नक्सली-आतंक के शिकार होते रहेंगे? कब जागेगी हमारी सरकार और कब जागेंगे हम? आखिर कब?**

पिछले चार दशकों से हमारा देश नक्सली आतंकवाद का दंश झेल रहा है। नक्सली आतंक से उपजे हालात ने आज देशवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। नक्सलियों के साथ समझौता करने वाली कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार के शासन में उनके हौसले बुलंद हैं। वे सुरक्षा बलों और निर्दोष लोगों के खून से न जाने कौन सी क्रांति की इबारत लिख रहे हैं? स्कूल भवनों, रेल पटरियों, सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य केन्द्रों को बमों से उड़ाकर न जाने वो किस तरह के विकास का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं।

सामाजिक परिवर्तन से नक्सलवाद का कोई लेना-देना नहीं है, वस्तुतः यह एक विशुद्ध आतंकवाद है, जिसका लक्ष्य येन-केन-प्रकारेण सत्ता कब्जाना है। नक्सलवाद मानवता का दुश्मन है। यह भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा है। यह सिरफिरे लोगों का गिरोह है जो जनता व जवान के खून से भारत की धरती को बस लाल करना जानते हैं। सच में ये रक्तपिपासु हैं। ये राष्ट्रद्रोही हैं।

25 मई, 1967 को पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में हुए भूमि विवाद में जमींदार और किसानों के बीच संघर्ष हुआ। बंगाल पुलिस ने 11 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। यहीं से नक्सलवाद की चिंगारी भड़की। माकपा से अलग हुए चारू मजूमदार व कानू सान्याल ने इस असंतोष का नेतृत्व किया।

नक्सलवाद का सिद्धान्त है 'सत्ता बंदूक की नली से निकलती है।' नक्सलवादी 'वर्ग शत्रुओं' का कत्लेआम कर क्रांति लाना चाहते हैं। उनका भारतीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वे चुनावों का बहिष्कार करते हैं। वे हिंसा के माध्यम से सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि 21 सितंबर 2004 को पीपुल्स वार ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन हुआ। माओवादियों का सैनिक संगठन 'पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) है।'

माओवादियों से प्रभावित क्षेत्र को 'रेड कॉरिडोर' के नाम से जाना जाता है। यह 'रेड कॉरिडोर' आंध्र प्रदेश,

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार से होते हुए नेपाल के माओवादी ठिकानों को जोड़ता है। नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आदिवासी बाहुल्य है। ये ऐसे जंगलवासी हैं जो सदियों से शोषण का शिकार हैं।

नक्सली समस्या भारतीय शासन व्यवस्था की विफलता की निशानी है। आज भी आजादी के 62 साल बाद बहुसंख्यक आबादी को पीने का साफ पानी नसीब नहीं है। बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अशिक्षा के चलते लोगों का जीवन अंधकारमय है। भूख व कुपोषण से मौतें हो रही है। जानलेवा कर्ज है। ईलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। नक्सलवादी इसी स्थिति का लाभ उठाकर अपना संकीर्ण स्वार्थ साधते हैं। वे लोगों को जनता के राज का सपना दिखाकर उन्हें अपने साथ जोड़ लेते हैं।

नक्सलवाद के पक्ष में तर्क गिनाने वाले उनके समर्थक दंडकारण्य का उदाहरण देते हैं, जहां आदिवासियों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सलियों ने तेंदुपत्ता तोड़ाई की मजदूरी बढ़वाने के लिए अभियान चलाया। शराबबंदी को लेकर महिलाओं को लामबंद किया। नक्सल आंदोलन के चलते आदिवासियों ने हजारों एकड़ वनभूमि पर कब्जा कर लिया। नक्सलवादियों का कहना है कि उन पर पूंजीपतियों, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों की हत्या का जो आरोप लगता है वह आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। उनकी हिंसा 'टारगेटेड वाइलेंस' है।

अब युवा माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर क्रांतिकारी नहीं बनते। माओवादियों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बेरोजगार युवाओं को गुमराह करना शुरू कर दिया है। माओवादियों ने उनसे जुड़ने वाले हर युवा को 3 हजार रूपए प्रतिमाह तनख्वाह तथा रंगदारी से उगाही गई रकम में से भी कमीशन देने की बात कही है। इस लालच में फंस कर माओवादियों से जुड़ रहे युवाओं को लेकर गृहमंत्रालय ने चिंता जताई है।

पिछले दिनों केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने मानवाधिकार विभाग के सम्मेलन में भरोसा दिलाया कि देश के माओवाद प्रभावित इलाकों को अगले तीन साल में नक्सलियों के चंगुल से मुक्त करा लिया जाएगा। गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) में एक जनसमूह को संबोधित करते हुए 06 मार्च, 2010 को कहा कि वर्ष 2050 तक नक्सली भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पिल्लई ने स्वीकार किया कि नक्सलवाद प्रभावित राज्यों को नक्सलियों को कुचलने की स्थिति में आने में अभी सात से 10 वर्ष लगेंगे।

नक्सली हिंसा को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है। इसी के चलते नक्सली हिंसा में लगातार इजाफा होता जा रहा है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत हैं, जिसका संप्रग सरकार में अभाव दिखता है। कभी सरकार नक्सलवाद को आतंकवाद की श्रेणी में रखती है तो कभी बातचीत के लिए टेबल पर बुलाती हैं। सरकार का यह ढुलमुल रवैया बेहद चिंताजनक हैं। आज जिस तरीके से देशभर में नक्सली हमले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए केन्द्र और राज्य में समन्वय हो। पुलिस संख्या बल में इजाफा हो। सुरक्षा बलों को बेहतर प्रशिक्षण मिले। अत्याधुनिक हथियार मिले। वास्तव में अब सख्त कार्रवाई का वक्त आ गया है। इसके साथ ही आम जनता को भी स्यापा छोड़कर नक्सली आतंकवाद के खात्मे के लिए जन-अभियान चलाना चाहिए। ■

नक्सली आतंकवाद की भयानक तस्वीर:

- 2009 के आंकड़ों के अनुसार नक्सलवाद देश के 20 राज्यों की 220 जिलों में फैल चुका हैं।
- पिछले तीन साल (2007-08 तथा 2009) में देश में नक्सली हिंसा के कारण 1405 लोग मारे गए जबकि 754 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए।
- भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुताबिक देश में 20,000 नक्सली काम कर रहे हैं।
- लगभग 10,000 सशस्त्र नक्सली कैडर बुरी तरह प्रेरित और प्रशिक्षित हैं।
- आज देश में 56 नक्सल गुट मौजूद हैं।
- करीब 40 हजार वर्ग किलोमीटर इलाका नक्सलियों के कब्जे में हैं।
- नक्सली करीब 1400 करोड़ रुपए हर साल रंगदारी के जरिए वसूलते हैं।
- नक्सली भारतीय राज्य को सशस्त्र विद्रोह के जरिए वर्ष 2050 तक उखाड़ फेंकना चाहते हैं।

धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आरक्षण की कमजोर कड़ी

■ उमाशंकर मिश्र

रंगनाथ मिश्र आयोग के विवादों का जिन्न एक फिर बोतल से बाहर निकला है। आयोग की सचिव सदस्य आशा दास के मुताबिक ईसाई और इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन भारत में इन समुदायों के प्रति सामाजिक उपेक्षा का हवाला देकर जबरन उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करने में सरकार तुली हुई है। जिससे इन धर्मों के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा का संकट उत्पन्न हो गया है।

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (रंगनाथ मिश्र आयोग) के विवादास्पद स्वरूप का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। अभी ज्यादा समय नहीं बीता जब रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने से पहले ही लीक हो गई थी। रिपोर्ट के लीक होने से आयोग की कार्यशैली पर ही नहीं बल्कि सरकार की मंशाओं पर भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। संसद का कामकाज ठप्प रहा और सत्ता के गलियारों से लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में इस रिपोर्ट के लीक होने को लेकर गहमागहमी बनी रही। विपक्ष ने इस तरह के संवेदनशील मसले पर लापरवाही बरते जाने को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वैसे तो कई जानकार पहले से ही आयोग की अनुशंसाओं को राजनैतिक आधार से ओतप्रोत होने की आशंका रहे है, लेकिन हाल ही में यह विरोध और भी अधिक मुखर हो गया जब आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती आशा दास ने ही आयोग की भूमिका और कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिये।

अगस्त 2005 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने रंगनाथ मिश्र आयोग के समक्ष शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण किये जाने के बारे में और उनके अन्य प्रकार के कल्याण हेतु उपाय सुझाने के लिए अनुरोध किया था। साथ ही दलित ईसाईयों (जिन्होंने अनुसूचित जाति से धर्मांतरण कर ईसाई धर्म अपनाया है) और दलित मुसलमानों (जिन्होंने अनुसूचित जाति से धर्मांतरण कर इस्लाम धर्म अपनाया है) को भी आरक्षण देने के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किए जाना कितना उचित होगा, आयोग से इस पर भी विचार करने के लिए कहा गया था। सीधे तौर पर समझा जाये तो रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट ने धर्म के आधार पर 'अल्पसंख्यकों' को आरक्षण देने की अनुशंसा की है। इसने अनुसूचित जातियों के आरक्षण की परिधि में 'दलित' इसाइयों एवं 'दलित मुसलमानों को लाने की भी सिफारिश की है। ध्यान देना होगा कि दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके, इसके लिए उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना होगा। लेकिन इसकी अपनी अलग पेचिदगियां हैं और यही विचारणीय विषय भी है कि क्या इस्लाम और ईसाई धर्मों में जाति व्यवस्था है अथवा नहीं! आयोग द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने के पक्ष में प्रकट किए गए विचारों में साफ तौर कहा गया है कि 'यद्यपि ईसाई और इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन भारत में इन समुदायों के प्रति सामाजिक उपेक्षा का हवाला देकर जबरन उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करने में सरकार तुली हुई है।

यह सही है कि धर्म परिवर्तन एक निजी मामला है, लेकिन किसी धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ निर्णय लेने का अधिकार क्या किसी आयोग या फिर न्यायालय को है? यह सोचने का विषय है। लेकिन इसे विडंबना ही माना जायेगा कि अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति में धर्मांध तत्व धर्म के मूल सिद्धांतों को ही तोड़ने-मरोड़ने में जुटे हुए हैं। इस बात के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि सिख और बौद्ध धर्म में ईसाई तथा इस्लाम धर्म की भांति जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई है,

लेकिन संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन करके सिखों तथा बौद्धों दोनों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया गया है। इसी आधार पर ईसाई या इस्लामी धर्मावलंबियों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने धर्मांतरण करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाया है और यदि वे अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल हैं तो उन्हें उसे सूची से निकाल कर अनुसूचित मुस्लिम/ईसाई जाति का दर्जा दे दिया जाये। यह कितना संविधान सम्मत है? भारत की धर्मनिरपेक्षता पर इसका क्या असर होगा? क्या हम एक बार फिर सांप्रदायिक और औपनिवेशिक राजनीति की ओर धकेले जा रहे हैं? क्या गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या को साम्प्रदायिक नजरिये से देखना उचित है? रंगनाथ मिश्र आयोग ने ऐसे ढेर सारे प्रश्नों को जन्म दिया है। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर आयोग के सदस्यों के बीच भी सहमति नहीं बन सकी है। इसकी सदस्य सचिव रहीं, श्रीमती आशा दास ने इन अनुशंसाओं का तथ्यों और तर्कों के आधार पर खण्डन किया है, जो आयोग की विसंगतियों की ओर संकेत करती है और इसके राजनैतिक उद्देश्यों को उजागर करती है।

जिस सिख और बौद्ध धर्म को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिये जाने के संदर्भ का हवाला रंगनाथ मिश्र ईसाईयों/मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कर रहे हैं, उसकी दरअसल अलग व्याख्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत अधिकारी श्रीमती आशा दास के मुताबिक-'इस्लाम और ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, जबकि यह हिंदू धर्म की एक विशिष्टता है। सिख या बौद्ध धर्मावलंबियों को इसलिए अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये मूलतः हिंदू धर्म के ही पंथ हैं न कि ईसाई या इस्लाम धर्मों की तरह स्वतंत्र धर्म। वैसे भी ईसाईयों और मुसलमानों में जो लोग सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिन लोगों ने धर्मांतरण करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाया है, उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया है और वे सेवा/शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के वही लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो अन्य पिछड़े वर्गों को मिलते हैं। साथ ही साथ वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तैयार की गई अन्य योजनाओं व संस्थागत सहायता का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ईसाई/मुस्लिम समुदाय में जो लोग सामाजिक तौर एवं शैक्षिक तौर पर पिछड़े हैं, वे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाले लाभ तो प्राप्त कर ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त वे उन सांविधानिक, कानूनी व संस्थागत संरक्षणों/व्यवस्थाओं का भी लाभ ले रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने के नाते उन्हें हासिल होती है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि जिस धार्मिक समुदाय में जाति/अस्पृश्यता को मान्यता नहीं दी गई है व उसे सही नहीं माना जाता उसमें यदि उक्त आधार पर भेदभाव किया जाता है तो इस बारे में उस धर्म के भीतर ही आंतरिक और समुदाय आधारित सुधार किया जाना अपेक्षित है। इस बारे में सरकारी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि उन्हें उसी प्रकार की जाति व्यवस्था में लाया जा रहा है, जिसे छोड़कर वे समतावादी धर्म में आये थे।' उक्त धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का अर्थ, इस्लाम/ईसाई धर्म में औपचारिक रूप से जाति व्यवस्था कायम करना और उन धर्मों के मूल सिद्धांतों को बदलना होगा, जो कि संसद तथा न्यायपालिका, दोनों के ही अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। आशा दास का यह भी कहना है कि-'यद्यपि ईसाई या इस्लाम धर्मावलंबियों को ब्रिटिश भारत या स्वतंत्र में कभी भी अनुसूचित जाति का नहीं माना गया, लेकिन ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है।' इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, यद्यपि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उनकी आबादी इससे काफी अधिक है। अतः यदि धर्मांतरण करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है तो इससे सेवाओं/पदों व शैक्षणिक संस्थाओं में और अन्य मामलों में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अनुसूचित जाति शब्द पहली बार भारत शासन अधिनियम, 1935 में प्रयुक्त किया गया था। इस

अधिनियम के तहत भारत सरकार अनुसूचित जाति आदेश, 1936 जारी किया गया। 30 अप्रैल 1936 को जारी किए गए इस आदेश के पैरा 3 में यह उल्लेख किय गया है कि 'किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाए।' तथापि हिन्दुओं की कुछ चुनिंदा जातियों के बारे में काफी पहले से अर्थात 1880 से विचार किया जाने लगा था। वैसे भी धर्मांतरण करके ईसाई/मुस्लिम धर्म अपनाने वालों के लिए इस आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है कि उनके साथ भेदभाव होता है और इसलिए वे आरक्षण के अधिकारी हैं। लेकिन भारत में अपने 25 वर्षों के प्रवास के दौरान केरल, तमिलनाडु, में कार्यरत ब्रिटिश मिशनरी श्रद्धेय सैमयुल मेटीर ने इस बारे में अध्ययन करके 'लैंड ऑफ चैरिटी' और 'नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर' नामक दो पुस्तकें क्रमशः वर्ष 1870 व 1833 में प्रकाशित की। इनमें यह प्रकट किया गया था कि इन राज्यों में धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाने वाली 'दास जाति' (अर्थात मौजूदा अनुसूचित जातियां) ने हिंदू धर्म में रह गई अपनी बिरादरी की तुलना में सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे।

समाज का उत्पीड़ित वर्ग (जिन्हें बाद में अनुसूचित जातियां कहा जाने लगा) के लिए ब्रिटिश प्राधिकारियों द्वारा अपनाया गया मानदंड, मुख्यतः अस्पृश्यता से उपजी प्रथाओं और पूर्वाग्रहों से संबंधित था। हमारे देश में अस्पृश्यता मूलतः धार्मिक और राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुई है। अस्पृश्यता, हिन्दू धार्मिक व्यवस्था का भाग है। इस प्रकार वर्ष 1936 और 1950 में अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों को शामिल करने का आधार धर्म ही था। लेकिन दूसरी ओर इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों का उदय भारत से बाहर हुआ था। कई सौ वर्षों के दौरान ये धर्म व्यापारियों, हमलावरों व प्रचारकों/मिशनरियों के साथ विदेश से भारत में आये और ज्यों-ज्यों भारत के मूल निवासी इन धर्मों में धर्मांतरित होते गए, इन्होंने भारत में अपनी जड़े जमा लीं। इन दोनों ही धर्मों में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई है।

इन बातों के आधार पर आशा दास ने अपनी राय जाहिर की है। उनके अनुसार 'धर्मांतरण करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए धर्मांतरण करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति, अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने के पात्र नहीं है। अतः उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में ही बने रहने दिया जाये। और जब तक अन्य सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों की व्यापक सूची नहीं बनती, तब तक उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाली सुविधाएं व आरक्षण लेने दिये जायें।'

इंडिया पॉलिसी फांउडेशन के निदेशक राकेश सिन्हा कहते हैं कि 'सत्तावादी विमर्श ने मुस्लिम आबादी को वोट बैंक बना दिया, जिसके लिए हुई रस्साकसी ने मुसलमानों को उनके धार्मिक नेताओं एवं वोट बैंक के सौदागरों का बंधक बना दिया। आत्मालोचन संविधान सभा की सीमा से बाहर नहीं आ पाया। परिणामस्वरूप मुसलमान छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों के सत्तावादी विमर्श की पूर्ति का मध्यम बनकर रह गए।'

बहरहाल जो भी हो इस पर स्वास्थ्य, रचनात्मक विमर्श के द्वारा निर्णायक जनमत तैयार करने की आवश्यकता है।

यह तो माना जा सकता है कि समाज में गैर बराबरी का दंश झेल रहे लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आरक्षण का उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जब आरक्षण जैसे वैकल्पिक उपाय का उपयोग राजनैतिक हितों की पूर्ति हेतु किया जाने लगे तो दूरगामी तौर पर यह समाज के विखंडन और उसके खोखलेपन का कारण बन सकता है। यह किसी धर्मावलंबी समुदाय के मूल मतों को ही प्रभावित कैसे कर सकता है? आज देश में विभिन्न समुदाय आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं इन दबाव समूहों के व्यक्तिगत राजनैतिक हित भी शामिल हैं। जिसे पूरा करने के लिए पूरे समुदाय भारत की भौगौलिक एवं सामाजिक अखंडता को भी खतरे में डालने से नहीं चूकते। लेकिन जब देश के नीति नियंता ही आरक्षण की गोटियां खेलकर अपने राजनैतिक हितों को पूरा करने में जुट जायें तो हालात क्या होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन विडंबना है कि कुछ इसी तरह का खेल वर्तमान केन्द्र सरकार खेल रही है। ■

छात्र आंदोलन की दिशा सही, रास्ता थोड़ा बदला

-बी. सुरेन्द्रन, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, अभाविप

साक्षात्कार

बी. सुरेन्द्रन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ***राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री बी. सुरेन्द्रन*** *14 वर्ष की उम्र में परिषद के संपर्क में आए। उसी दौरान अपने स्कूल के छात्रों के साथ मिल कर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रहे। मार्च 1978 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए। 1978 से 1992 तक विभिन्न दायित्वों के साथ आन्ध्र प्रदेश में सक्रिय रहे। उसके बाद लंबा समय उन्होंने तमिलनाडु में बिताया। 51 वर्षीय सुरेन्द्रनजी के प्रवास का क्रम आज भी कुछ यूं है कि महीने में उनकी 20 रातें सफर के दौरान ट्रेन में ही कटती हैं। बातचीत के क्रम में 80 के दशक की एक घटना बताते हुए वे भावुक हो जाते हैं, जब उनके दोस्त को 26 जनवरी के दिन नक्सलियों को भारतीय ध्वज जलाने से रोकने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। पिछले दिनों विद्यार्थी परिषद के दिल्ली, नॉर्थ एवेन्यु कार्यालय में सुरेन्द्रनजी से विद्यार्थी परिषद के विविध आयामों पर* **छात्रशक्ति संवाददाता आशीष कुमार 'अंशु'** *और* **गौरव शर्मा** *ने लंबी बातचीत की। यहां प्रस्तुत है, उस बातचीत के प्रमुख अंश:*

● क्या आपको लगता है कि छात्र आन्दोलन आज सही रास्ते पर है?

❍ आन्दोलन तो सही रास्ते पर है लेकिन यह एक जगह केन्द्रित ना होकर विकेन्द्रित हो गया है। यह मीडिया की वजह से हुआ है। छात्र बंट गए हैं, उनका जुटान नहीं हो रहा। कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। यह भी गलत हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव की जो प्रक्रिया है, वह भी ठीक नहीं है। अलग-अलग महाविद्यालयों के अलग-अलग चुनाव तक ही ठीक है। एक साथ पूरे विश्वविद्यालय का चुनाव भी ठीक नहीं है। इतने सारे कॉलेजों में अभियान चलाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होगा। आंदोलनों की बात करें तो आज छात्रों के आंदोलन की दिशा थोड़ी बदली है। अब उनका सड़क खड़े होकर लड़ने की जगह, कानूनी लड़ाई लड़ने में विश्वास पहले से दृढ़ हुआ है। वे सूचना का अधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं।

● विदेशों से आने वाले विश्वविद्यालयों के आगमन पर पर आपकी राय क्या है?

❍ हम भारत में वैश्विक प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। हम विदेश में जाएं और जो विदेश से हमारे यहां आना चाहते हैं, आएं। लेकिन यह सब नियम और कायदे के अनुसार होना चाहिए। वे भारत की शुल्क संरचना को अपनाएं। फिर उनका सशर्त स्वागत है। वे सिर्फ व्यवसाय करने यहां आएंगे, तो फिर कठिनाई होगी।

● हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति से आप संतुष्ट हैं?

❍ हमारे यहां शहर और गांव की शिक्षा में बहुत अंदर है। महानगरों में शिक्षा की स्थिति बेहतर है। लेकिन छोटे शहरों में स्थिति बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कॉलेज हैं, जहां 25,000 विद्यार्थी एक ही कॉलेज हैं। ऐसी स्थिति कई दूसरे राज्यों के कॉलेज में भी है। ऐसे में गुणवत्ता की बात कैसे सोच सकते हैं। हमें सब तक शिक्षा पहुंचे इस प्रयास के साथ-साथ अच्छी शिक्षा पहुंचे इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। आज शिक्षक और छात्र दोनों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता है।

● आप आज की शिक्षा के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां देखते हैं?

❍ सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, दूसरा हर आदमी तक उसकी पहुंच की समस्या और तीसरी आज की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि मनचाही शिक्षा पाना हर आदमी के सामर्थ्य में नहीं है। शिक्षा का

व्यावसायीकरण होने से विश्वविद्यालय परिसर में प्राध्यापकों का सम्मान नहीं है। शिक्षा राजनीति से युक्त हुई है। धीरे-धीरे सरकार शिक्षा से पीछे हट रही है, जबकि होना यह चाहिए कि सरकार को अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। विश्वविद्यालय को समाज के बीच काम करना चाहिए और विश्वविद्यालय स्थानीय आवश्यकता को देखकर पाठ्यक्रम भी तैयार कर सकते हैं। बिहार के अंदर उत्तर में बाढ़ की समस्या है और दक्षिण में सूखे की तो वहां विश्वविद्यालय उत्तर में बाढ़ प्रबंधन और दक्षिण में सूखा प्रबंधन की की पढ़ाई शुरू कर सकता है।

• भविष्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उसमें किस तरह के बदलाव की पैरवी आप करते हैं?

○ सबसे पहले शिक्षा में गुणवत्ता में कमी को दुरुस्त करने की जरुरत है। दूसरा हमें हर क्षेत्र में अपनी आवश्कता तय करनी होगी। हमें कितने डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, और कम्प्यूटर के जानकार चाहिए। आज क्या हो रहा है, एमबीए करने के बाद लगभग एक साल तक इंटर्न के नाम पर मुफ्त में काम करना होता है, उसके बाद पांच-छह हजार रुपए की नौकरी मिलती है। यह मानव संसाधान का दुरुपयोग है। हमें समझना चाहिए, आज तकनीकी शिक्षा की जो होड़ है, यह सभी समस्याओं का हल नहीं है। आज हमारे पास अच्छे अनुवादकों की कमी है। इस तरह किस क्षेत्र में अवसर कितने हैं, और उसके अनुपात में छात्र कितने हैं, इन दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है।

• आज परीक्षा की मूल्यांकन शैली पर आपकी क्या टिप्पणी है?

○ इसे लेकर हमारे पास कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। जबकि होना यह चाहिए कि परीक्षा के 21 दिनों के अंदर परीक्षा का परीणाम आना चाहिए। सेमेस्टर प्रणाली बड़े समूहों में ठीक नहीं है। छात्रों की मांग पर जांची गई कॉपी की फोटो कॉपी उसे मिलनी चाहिए। यदि पुनर्मूल्यांकन में पहले कॉपी से 20 फीसद से अधिक अंक आए तो पहले कॉपी जांचने वाले के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यदि सवाल पाठ्यक्रम से बाहर आए अथवा सवाल परीक्षा से पहले लीक हो जाए तो परीक्षा नियंत्रक को बर्खास्त कर देना चाहिए। एक ही सवाल सभी केन्द्रों पर जाए, यह भी आवश्यक नहीं। इस तरह सवाल के बाहर जाने का डर रहता है। इससे बचने के लिए चार से पांच मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करवाए जा सकते हैं, और हर एक सेन्टर पर पांचों प्रश्न पत्र क्रम से बांटे जा सकते हैं। या अलग-अलग केन्द्रों के लिए अलग-अलग प्रश्न पत्र की व्यवस्था हो सकती है। ■

'फेसबुक जनरेशन' पर कार्यशाला आयोजित

फेसबुक जनरेशन के विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद् ने थिंक इंडिया मुवमैंट के अर्न्तगत तकनीकी छात्र-छात्राओं की कार्यशाला का आयोजन 31 मार्च को आर्ट फैकल्टी नार्थ कैम्पस में किया। जिसमें मुख्य अतिथि अ.भा.वी.प. के राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री बी. सुरेन्द्रन रहे। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए अमीर-गरीब, गांव-शहर और गैर बराबरी को मिटाकर समग्र देश के छात्रों के विकास बारे में सोचने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में डेढ़ सौ से अधिक संख्या में विभिन्न तकनीकी महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

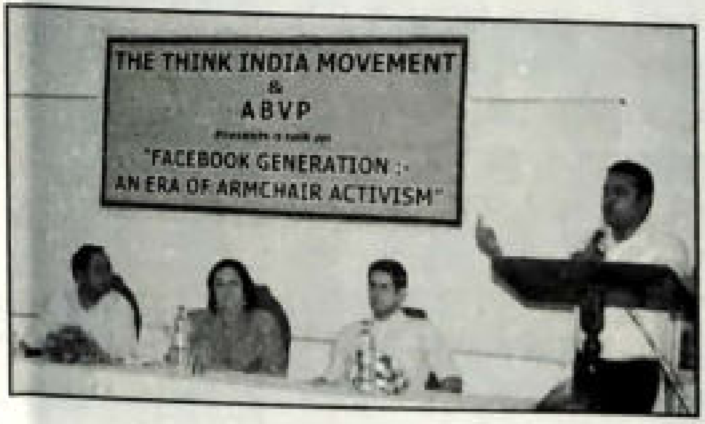

संगोष्ठी को सम्बोधित करते संदीप पात्रा, मंचस्थ अतिथि (बाएं से) बी. सुरेन्द्रन, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, अध्यक्ष पिंकी आनन्द एवं संजय कौल

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध अधिवक्ता पिंकी आनंद ने की तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय कौल व डॉ. संदीप पात्रा विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व डुसू अध्यक्ष सुश्री नुपुर शर्मा ने किया। ■

दायित्वबोध

सामाजिक समरसता का आग्रह विद्यार्थी परिषद ने प्रारम्भ काल से रखा है। इसी सन्दर्भ में हम यहां अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अशोक राव मोडक द्वारा लिखी पुस्तक 'भारत सपूत: डॉ. भीमराव अम्बेडकर' से उद्धृत लेख प्रकाशित कर रहे हैं। सं.

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यता निर्मूलन का कार्य किया। ऐसा कार्य पिछली सदी में भी हुआ था। परन्तु तब सवर्णों ने पहल की थी और उनका दृष्टिकोण दलितों पर एहसान करने का था। वह कार्य मुख्यत: वैचारिक प्रबोधन का था। ज्योतिबा फुले इस परिप्रेक्ष्य में अपवाद स्वरुप थे। उनकी भूमिका न्याय और इन्सानियत का वातावरण बनाने वाली थी न्यायमूर्ति रानडे जैसे कुछ सवर्ण नेता भी इसी भूमिका से सामाजिक सुधारों का समर्थन करते थे। ज्योतिबा फुले का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए दलितों का संगठन खड़ा किया और संघर्ष किया। डॉ. आंबेडकर ने ज्योतिबा फुले द्वारा मिली विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने जाति प्रथा की यातनाऐं झेली थी और ऐसी यातनाऐं शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो यही उनकी इच्छा उन्हें प्रेरित कर रही थी। इसी तीव्र इच्छा ने अम्बेडकरजी को रूढ़िवादियों के खिलाफ तीव्र संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यही वह ज्वलंत समस्या थी जिसने उनके जीवन को एक लक्ष्य दिया। फिर अम्बेडकरजी व्रतनिष्ठ साधक बने।

6 दिसम्बर 1956 को इस साधक की मृत्यु हुई। तब भारत माँ के इस सपूत को अन्तिम विदाई देने के लिए अनगिनत जनसमूह मुम्बई के तट पर एकत्र हुआ।

डॉ. अम्बेडकर ने न्याय की प्रस्थापना करने के लिए कई संघर्ष किये तथा रूढ़िवादी, ढोंगी सवर्णों की कटु शब्दों में आलोचना की। जातिप्रथा की भर्त्सना, गांधीजी जैसे महात्मा पर शरसंधान, मनु स्मृति की होली जलाना आदि गतिविधियों के कारण डॉ. अम्बेडकर की एक विशिष्ट छवि साकार हुई। ब अम्बेडकर की मृत्यु हुए साढ़े तीन दशक समाप्त हो रहे हैं। इस कालावधि में बहुत पानी बह गया है। अब उस महापुरुष का यथार्थ मूल्यांकन सम्भव है। जन्मशताब्दी वर्ष में 'डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और कार्य' विषय पर प्रकट चिन्तन-मन्थन होगा। तभी प्रत्येक को यह महसूस होगा कि यद्यपि डॉ. अम्बेडकर जुझारु थे, तथापि उनके हृदय में, रचना में रूचि रखने वाला ऋषि विराजमान था। उन्होंने समाज को कोसा जरूर लेकिन तोड़ा नहीं। उन्होंने जातिप्रथा की आलोचना की परन्तु हिन्दू समाज की भलाई के लिए यह आलोचना थी। महात्मा गांधी पर सत शरसंधान करने वाले भीमराव ने ही सन् 1932 में बापूजी के प्राणों की रक्षा के लिए दलितों के विशेष अधिकार पर पानी छोड़ दिया। बौद्ध धर्म अंगीकार करने के बाद अम्बेडकरजी ने हिन्दू समाज को बताया कि देश का कम से कम अहित हो इसलिए उन्होंने यह धर्म चुना है। ऐसे धर्म का चयन करके वास्तव में महात्मा गांधी को उनके द्वारा दिए गये वचन की परिपूर्ति थी। क्या यह सच नहीं है कि यद्यपि भीमराव ने धर्मान्तरण किया तथापि वह राष्ट्रान्तरण नहीं था? जब डॉ. अम्बेडकर ने महाड़, नासिक और पुणे में दलितों के उत्थान के लिए आन्दोलन छेड़े तब पूरा वायुमंडल तनावों से भरा हुआ था। परन्तु भीमराव के नेतृत्व में इसमें अभूतपूर्व अनुशासन प्रकट हुआ। अम्बेडकर चरित्र का ठीक अध्ययन किया जाय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वे मूलत: व्यवस्थावादी समाज सुधारक थे। सामाजिक और आर्थिक न्याय इस व्यवस्था के नींव के पत्थर थे। रूढ़ीवादी व्यक्ति सदैव चाहते हैं कि 'जैसे थे वैसे रहो।' सदियों से जो स्थिति विद्यमान है उनको आधार मानकर व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहिए यह विचार रूढ़ीवादी महानुभावों को आकृष्ट करता है। लेकिन यह यथास्थितिवाद मुट्ठीभर वरिष्ठों के

लिए तो लाभदायक है किन्तु बहुसंख्यकों के लिए पीड़ादायक रहता है। 'जैसे-थे' वादी-यथास्थिति- वादी जिस व्यवस्था के पक्षधर हैं वह तो वस्तुत: विकृति है। डॉ. अम्बेडकर विकृत रूढ़ियों के दुश्मन थे। व्यवस्थावादी लोग तानाशाही के भी समर्थक हो सकते हैं। हिटलर, स्टालिन या अपने देश में श्रीमती गांधी ने तानाशाही के मार्ग से व्यवस्था निर्माण करने की चेष्टा की। परन्तु इससे विकृति ही उत्पन्न हुई। अम्बेडकर, मानवधर्म के पुजारी थे। सर्वसाधारण मनुष्य उनके लिए देवता था। इस मनुष्य को बेसहारा बनाने वाली तानाशाही और उससे उत्पन्न होने वाली व्यवस्था भीमराव को कतई पसंद नहीं थी। डॉ. अम्बेडकर व्यवस्था चाहते थे। तनावयुक्त और चारों ओर सामाजिक अस्वस्थता उत्पन्न करने वाला वातावरण कुछ नेताओं के लिए प्यारा हो सकता है पर उन्हें नहीं था। बाबासाहब व्रतनिष्ठ साधक, तत्वचिंतक और दृष्टा थे। उन्हें न तो रूढ़ीवादी या तानाशाही के आधार पर खड़ी व्यवस्था पसंद थी, और न वे अशांति और अराजकता के उपासक थे। उन्होंने मध्यम मार्ग को स्वीकार किया था। न्याय की प्रस्थापना ही श्रेष्ठ जीवन मूल्य है। इस मूल्य के बारे में चहुँओर सहमति उत्पन्न करना और, ऐसी राष्ट्रीय सहमति को आधारशिला मानकर व्यवस्था का मन्दिर खड़ा करना बाबासाहब का लक्ष्य था।

जब डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में घोषणा की कि सामाजिक और आर्थिक समता ही राजनीतिक समता को बरकरार रख सकती है तब उनके व्यवस्थाभिमुख व्रत का नया प्रमाण मिलता है। इस व्रत की पूर्ति के लिए सवर्णों को क्या सोच विचार करना चाहिए इसका उत्तर भी उन्होंने दिया। डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि सामाजिक और आर्थिक समता उत्पन्न करने हेतु यदि सवर्ण व्यक्ति पहल करते हैं तो व्यवस्था

डॉ. अम्बेडकर मूलत: व्यवस्थावादी थे, न्याय कल्पना के बारे में राष्ट्रीय सहमति उत्पन्न करना उनका मिशन था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अम्बेडकरजी का मानववाद वास्तव में समानार्थी विचार है। अतएव राष्ट्रवादी संगठन सर्वस्पर्शी बने, देहातों में रहने वाले अल्प भू-धारक खेतिहर मजदूर तथा शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब समाज घटक आदि नागरिकों की समस्याओं के बारे में सचेत रहे, तथा उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हो यही आज का तकाजा है।

की एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी होने की सम्भावना निर्मित होती है। विधि मंडलों, नौकरियों तथा शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान करने के कारण दलित समाज को संरक्षण मिलेगा उन पर अद्यावधि में किए गए अत्याचारों का परिमार्जन होगा। जिनके ऊपर सदियों से अन्याय हुआ है उन्हें राहत मिलेगी। क्या सवर्ण भाई बहन और कुछ सालों के लिए आरक्षण का समर्थन करेंगे? डॉ. अम्बेडकर ने यह शर्त प्रस्तुत की थी। अब्राहम लिंकन ने अमेरिकन इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश अखंड और एकात्म रहे यही इच्छा इब्राहम लिंकन को अनुप्राणित करने वाली थी। आखिर यह महापुरुष शहीद हुआ, लेकिन अमेरिका अखंड और एकात्म बना रहा। डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में लोगों को बताया था कि लिंकन संधि को केवल भौगोलिक एकता ही प्रिय थी यह मानना गलत है। गोरे और काले रंगों के लोगों में अमेरिका का बँटवारा होगा, यह देश खण्डित होगा अतएव अमेरिकन समाज बन्धुभाव के नाजुक धागे से गुन्था जाय यह लिंकन महोदय का स्वप्न था। डॉ. अम्बेडकर ने लिंकन के बलिदान के सामाजिक पहलू की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया उन्होंने भारत के सवर्ण भाई बहनों को दलित समाज के प्रति करुणा का भाव रखने का आह्वान किया। ज्योतिबा फुले ने भी राष्ट्र याने 'एकमेव समाज' यह परिभाषा प्रस्तुत की थी। उन दिनों में महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा नाम की एक संस्था काम करती थी। नेशनल कांग्रेस का भी श्रीगणेश हुआ था। परन्तु दोनों संस्थाओं में वर्चस्व सवर्णों का था। वहां दलित समाज अनुपस्थित था। जोतिबा फुले ने 'सार्वजनिक' और 'नेशनल' इन विशेषणों पर ही आपत्ति उठायी। अपने समाज में जाति प्रथा के कारण

जिन पर विभिन्न अन्याय होते है उनको न सार्वजनिक सभा में प्रवेश था, न नेशनल कांग्रेस ने उनको सदस्यता दी थी। ज्योतिराव द्वारा की गई भर्त्सना शत प्रतिशत सही थी। डॉ. अम्बेडकर ने महात्मा गांधीजी और उनकी कांग्रेस, पंडित, पंडित मालवीय और उनकी हिंदू महासभा या रणदिवे-डांगे और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी को यही चुनौती दी और उन्होंने कहा दलितों तथा आदिवासियों को दूर रखकर एक भी पार्टी सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय नहीं बन सकती यह अभिमत सदैव याद रखिये।

आज हमारे देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा का जन मानस पर प्रभाव विकसित हो रहा है। इस विचारधारा के अनुयायी यदि डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखी हुई शर्तों का पालन करेंगे तो उसमें देश का हित होगा। डॉ. अम्बेडकर मूलत: व्यवस्थावादी थे, न्याय कल्पना के बारे में राष्ट्रीय सहमति उत्पन्न करना उनका मिशन था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अम्बेडकरजी का मानववाद वास्तव में समानार्थी विचार है। अतएव राष्ट्रवादी संगठन सर्वस्पर्शी बने, देहातों में रहने वाले अल्प भू-धारक खेतिहर मजदूर तथा शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब समाज घटक आदि नागरिकों की समस्याओं के बारे में सचेत रहे, तथा उन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में सफल हो यही आज का तकाजा है। डॉ. अम्बेडकर का जन्मशताब्दी वर्ष राष्ट्रवादी संगठनों की जिम्मेदारियों में इजाफा करने वाला वर्ष है। धीरे-धीरे यह संगठन राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावी बन रहे हैं। निकट भविष्य में समाज के सभी तबकों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लोकप्रिय होगा ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने दलितों में स्वाभिमान की ज्योति जगाई। अब शिक्षित दलितों क संख्या बढ़ रही है। जुझारु दलित भी दिखाई देते हैं। परन्तु संगठन के क्षेत्र में आज भी दलित वर्ग कमजोर है Educate, Agitate and Organise इस त्रिसूत्री में अन्तिम सूत्र आज भी दुर्बल है। अधिकांश दलित नेता चुनावी राजनीति में रुचि लेते हैं। इसका असर दलगत राजनीति पर होता हैं। राजनीति से अधिक व्यापक जो सामाजिक कार्य है वहां तो पढ़े लिखे दलित नगण्य है यह स्थिति चिन्ताजनक है। डॉ. आंबेडकर का झगड़ा ब्राह्मणवाद से था, जबकि कुछ अम्बेडकरवादी खुले आम 'ब्राह्मण, बनिया, लाला चोर' यह नारा दे रहे हैं। भीमराव की जड़े इस मिट्टी में थी। लेकिन उनके अनुगामी कहलाने वाले कुछ महा भाग 'हमें मुक्त करो' यह मांग बुलन्द करते हुए सोवियत दूतावास पर जुलूस संगठित कर रहे हैं। डॉक्टर आंबेडकर विधि निषेधों तथा परहेजों का पालन करने वाले साधक थे। यह कैसी विडम्बना है कि उनके कुछ तथाकथित अनुयायी किसी तस्कर के साथ एकजुट होकर मोर्चेबंदी कर रहे है। आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्ष अम्बेडकर के भूले भटके अनुगामियों को भी पथ्यपालन करने का निमंत्रण देता है।

डॉ. अम्बेडकर, सफल जीवन के स्वामी थे। उनके जन्मशताब्दी वर्ष में निम्नलिखित पंक्तियों का भाव व्यक्तिमात्र के व्यवहार में चरितार्थ हो यही इच्छा है।

'माता मे पार्वती देवी
पिता देवो महेश्वरा:
बान्धव: मानवा,
सर्वे स्वदेशो भुवनत्रयम्॥'

'मेरी मां पार्वतीदेवी है, तो पिता साक्षात् महेश्वर है। मेरे बान्धव याने सभी मानव है और त्रिभुवन यही मेरा देश है।' इस विचार के प्रकाश में जीवन बिताना यही भारत रत्न अम्बेडकर के चरणों में सही श्रद्धांजलि होगी। ■

दिल्ली सार समाचार

विरोध प्रदर्शन : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्र के लिए किशनगंज में जमीन आबंटन के विरोध में कार्यकर्ताओं के ऊपर पटना में बर्बरता- पूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में दिल्ली विद्यार्थी परिषद् ईकाई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नार्थ कैम्पस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया।

क्रैश कोर्स : अभाविप की नार्थ कैम्पस इकाई ने लॉ फैकल्टी में प्रवेश हेतु परीक्षार्थियों के लिए 'क्रैश कोर्स' के लिए पंजीकरण करना प्रारंभ कर दिया है। इसमें 160 से अधिक छात्रों के पंजीकरण हुए हैं। अभाविप परीक्षा से पूर्व इस प्रकार के क्रैश कोर्स का आयोजन करती है।

गंगा - एक राष्ट्रीय अस्मिता

गंगा के सहज और सतत् प्रवाह का कारण है हिमालय की ऊँची चोटियाँ, जहाँ तक पहुँचते-पहुँचते बादल, अपना समग्र मल और गन्ध खो बैठते हैं और अति स्वच्छ तथा गन्धहीन होकर हल्के से हल्के रूप में, हिमालय की ऊँची चोटियों पर जमते चले जाते हैं। बर्फ गिरती है, जमती है। हिमालय की चोटियाँ चट्टानों से बनी हैं। जिन पर रगड़ खा-खाकर हिम इन चट्टानों के वैशिष्ट्य को अपने में समेट लेता है। ऊँचाई से हिमनद बन, नीचे बहता है, आसपास की पहाड़ियों, पेड़-पौधों व वनस्पतियों से खनिजों को, लवणों को, औषधीय गुणों को, उनके प्रभावों को ग्रहण करता है। घर्षण से और भी गुण बटोरता है और वह सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, जो अशुद्धता को रहने नहीं देती।

गंगा नदी का मुख्य स्रोत गंगोत्री है। जहां यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। हिमालय से जाह्नवी नदी निकलकर भागीरथी से गंगोत्री के निकट मिलती है। भागीरथी की मुख्य सहायक नदी भिलगंना है जो टिहरी बांध में भागीरथी से मिल जाती है।

अलकनन्दा बद्रीनाथ के ऊपर से निकलती है। जिसमें धौलागिर पर्वत श्रेणियों में स्थित ग्लेशियरों से उद्गमित धौली-गंगा विष्णु-प्रयाग में आकर अलकनन्दा से मिलती है। आगे चलकर पातालगंगा, गरुडगंगा इसमें मिलती है। नन्द-प्रयाग में त्रिशूल पर्वत से निकलने वाली नन्दाकिनी अलकनन्दा में समाहित होती है। पिण्डारी ग्लेशियर से आने वाली पिण्डर कर्णप्रयाग में आकर अलकनन्दा में समाहित होती है। रुद्रप्रयाग में मन्दाकिनी भी अलकनन्दा में आकर मिल जाती है।

अलकनन्दा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। उसके आगे यह पुण्य प्रवाह गंगा के नाम से ऋषिकेश और हरिद्वार होता हुआ बंगाल की खाड़ी तक जाता है। अपने उद्गम स्थल गौमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा 2525 किलोमीटर की यात्रा तय कर गंगासागर में अपना अस्तित्व विलीन कर देती है। इस मार्ग में यह प्रवाह लगभग 100 छोटे-बड़े नगरों, महानगरों को अपना सान्निध्य प्रदान करता है।

गंगा के तट पर लगने वाले मेले इसके स्वरूप को और भी अधिक रमणीक बना देते हैं।

हरिद्वार तक का गंगा का प्रवाह, शिखरों की ऊँचाई की धवलता, बर्फ की निर्मलता, चट्टानों की रगड़ की ऊष्मा, चट्टानों में निहित विभिन्न खनिज तत्त्व जैसे लौह, तांबा, चाँदी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कोबाल्ट, आदि के साथ गंधक और पहाड़ियों पर पटी पड़ी औषधियों की गुणवत्ता अपने में समेटता है। पर्वतीय प्रवाह और कंकड़ों का जमावड़ा, धारा में साथ-साथ और जल से खिलवाड़ करता पत्थरों का, कंकड़ों का बहाव, जल को कहीं, गन्दा नहीं होने देता। यह जल त्वचा के लिए, पेट के लिए, स्फूर्ति के लिए, अस्थियों के लिए, मन और मस्तिष्क के लिए, हृदय और आत्मा के लिए अति लाभप्रद है। यह जल नहीं, अमृत है। स्वयं के शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया गंगा-प्रवाह में सतत् चलती रहती है। यदि मनुष्य के हाथ इस प्रवाह में हस्तक्षेप न करें तो गंगा में आत्मशुद्धि का गुण सदैव बना रहेगा। परन्तु आज हमारी दृष्टि बदल गई है। गंगा माँ, गंगा न होकर हमारे लिए नदी मात्र रह गई है। बन गई है भोग्या और ऐसी भोग्या कि सभी सीमाएँ लाँघ हम उसका भोग करते चले जाएँ। सिंचाई के नाम पर हमने गंगा से नहरें निकाली और अब बिजली प्राप्त करने के बहाने बाँध पर बाँध बनाने में जुट गए। गंगा का प्राण, हिमनदी से आने वाला गंगाजल ही हमने रोक दिया। नाममात्र को जल

चलने दिया। वर्षा के जल और छोटी-छोटी बरसाती नदियों के जल के कारण ही गंगा का प्रवाह आगे बढ़ा। गंगा नदी न रहकर, साधारण नाले सी बहने वाली धार बन गई।

हरिद्वार से आगे बढ़ने पर गंगा के प्रवाह में प्रदूषण की वृद्धि होती जाती है। प्रदूषण मिटाने की सामर्थ्य घटती जाती है। जल का तापमान, क्षारीय गुण, कठोरता, क्लोराइड एवं बी.ओ.डी. की मात्रा में क्रमश: बढ़ोतरी होती जाती है। हजारों शवों का प्रतिदिन गंगा के किनारे संस्कार किया जाता है। अनेक शव प्रतिदिन गंगा के किनारे संस्कार किया जाता है। अनेक शव ऐसे ही गंगा में बहा दिए जाते हैं। शहरों का गन्दा पानी, उद्योगों का कचरा गंगा में प्रवाहित करा देना सबसे सस्ता और आसान मार्ग खोज लिया गया है।

कई बार ऐसा लगता है कि हम ही गंगा को समाप्त करने में लगे हैं। हम गंगा के तट पर मलमूत्र, कफ़, थूक, दंत-धावन आदि करते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र गंगा का अस्तित्व आज निहित स्वार्थ, नासमझी और अदूरदर्शिता के कारण खतरे में पड़ गया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियाँ माँ गंगा के दर्शन व स्पर्श से भी वंचित हो जाएंगी और इस विनाश के लिए वे हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

हरिद्वार से आगे बढ़, गंगा फर्रुखाबाद आती है। यहाँ तक इसमें कोई दूसरी नदी नहीं मिलती। कन्नौज में राम गंगा और काली नदियाँ आकर मिल जाती हैं। प्रयाग में यमुना आकर मिलती है। गाजीपुर के निकट गोमती और छपरा के निकट घाघरा आकर मिल जाती है। कुछ और आगे बढ़ने पर, कोसी और गण्डक भी आकर मिल जाती हैं।

हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक का प्रवाह मैदानी क्षेत्र का प्रवाह है। इस पूरे क्षेत्र में पहले कोई भी नगर गंगा में प्रदूषण नहीं फेंकता था। जब कानपुर का विकास औद्योगिक नगर के रूप में हो गया तो वह सर्वाधिक प्रदूषण गंगा में उड़ेलने लगा। सन् 1990 के पश्चात् गजरौला (उ.प्र.) अपनी आर्गेनिक कैमिकल्स लि. फैक्टरी का कचरा और गन्दा पानी गंगा में उड़ेलता है।

जिस तरह से माँ भागीरथी व अलकनन्दा और उसकी सहायक नदियों पर एक के बाद एक जल विद्युत परियोजनाएं तैयार की गई हैं, यदि वे चलती रहीं तो यही कहा जाएगा कि देश की बागडोर सम्भालने वालों को अपनी संस्कृति से कोई प्रेम नहीं, अपनी पीढ़ियों से कोई प्रेम नहीं, उन्हें तो केवल पैसा चाहिए, बिजली प्राप्त करना या विकास तो मात्र एक बहाना है। ये परियोजनाएं हिमालयवासियों को खेती और प्राकृतिक संसाधनों से विहीन कर देंगी और भावी पीढ़ियाँ और अधिक गरीब हो जाएंगी। आज के युवकों को रोजगार प्रदान करने का वायदा, यह भ्रामक और अस्थायी है।

गंगा हमारी आराध्या है, उपास्या है। इसे नष्ट करने का कोई भी प्रयास इसके भक्तों के अधिकारों का हनन है। भारत के प्रति अत्याचार भी है। कहाँ से ऐसा जल, जो स्वयं तो शुद्ध और गुणसम्पन्न बना देती है। गंगा में जो मिला वह गंगा ही बन जाता है। मशीनों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से पीने के लिए बनाया गया मिनरल वाटर कुछ महीनों तक ही पीने योग्य रहता है, बाद में दूषित माना जाता है। यह मिनरल वाटर दूसरे जल को शुद्ध नहीं कर सकता।

उत्तराखण्ड के प्रयाग संकट में - भागीरथी व अलकनन्दा के संगम तट पर स्थित गणेश-प्रयाग तो पहले ही टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना में सदा-सर्वदा के लिए डूब गया है। इसी प्रकार अलकनन्दा पर स्थित पंच प्रयागों को भी समाप्त करने की योजना पर काम चल रहा है। विष्णु-प्रयाग (अलकनन्दा, धोली-गंगा) नन्द-प्रयाग (नन्दाकिनी-अलकनन्दा), कर्ण प्रयाग (पिंडर अलकनन्दा), रुद्र-प्रयाग (मंदाकिनी-अलकनन्दा), देव-प्रयाग (भागीरथी-अलकनन्दा) पर भावी जल विद्युत परियोजनाओं में या तो डूब रहे हैं या फिर सूख रहे हैं।

भागीरथी व अन्य नदियों पर बन रही बांधों की शृंखला के कारण नदियों का प्राकृतिक स्वरूप ही लुप्त हो जाएगा। गंगोत्री से हरिद्वार तक कहीं भी गंगा अब अपने मूल स्वरूप में बहती हुई नहीं दिखेगी। या तो इसे बड़े बांधों में बांध दिया जाएगा या फिर सुरंग के भीतर से भूमिगत प्रवाह सम्भव होगा।

गंगा का भविष्य- आगामी 20-25 वर्षों में जब ये सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी तब गंगोत्री से देव-प्रयोग

तक लगभग 270 कि.मी. की दूरी में भागीरथी केवल 35 कि.मी. लम्बाई में ही दिखाई देगी। शेष लगभग 160 कि.मी. सुरंगों में और 75 कि.मी. जलाशयों में समा जाएगी। इसी प्रकार बद्रीनाथ से देव-प्रयाग तक 230 कि.मी. की दूरी में प्रवाहित होने वाली अलकनन्दा लगभग पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। माँ गंगा और उसकी सहायक नदियों पर लगभग 300 परियोजनाएं सरकार ने प्रथम चरण में तैयार की हैं। परिणामस्वरूप गंगा की धारा अपने मौलिक अविरल प्रवाह में मिट्टी, वायु तथा सूर्य की किरणों से सदा सर्वदा के लिए वंचित होकर कंक्रीट की सुरंगों के अन्दर से बहेगी, जिससे गंगा का गंगत्व ही नष्ट हो जाएगा। गंगा से जुड़ी आस्था के साथ छोड़छाड़ करने की हिम्मत ब्रिटिश सरकार तक नहीं कर पाई थी लेकिन गंगा की गोद में पली-बढ़ी हमारी सरकारें इसकी कोई प्रवाह नहीं कर रही हैं। यदि गंगा हमसे खो गई तो भारत राष्ट्र की पहचान भी खो जाएगी। जिसे कोई सरकार वापस नहीं ला सकती। इसलिए अपनी इस अनमोल धरोहर को बचाना आज हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है।

गंगा को बांधने के ब्रिटिश सरकार के असफल प्रयास-मां गंगा को बांधने का आज जो प्रयास हो रहा है वह पहला नहीं है। सन् 1839 में सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन के सचिव एवं गंगा नहर योजना के रचनाकार प्रो. वी.टी. कौटले ने गंगा पर नहर एवं बांध बनाने की दृष्टि से सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया। गंगा नहर की योजना इसी क्रम में हरिद्वार में 1848 में प्रारंभ हुई और 1854 में पूरी हुई। 1873 में लोवर गंगा नहर (नरौरा) कार्य प्रारंभ हुआ। हिन्दू समाज द्वारा पांच जून 1914 को हरिद्वार की विशाल सभा में मां गंगा के अविरल प्रवाह की रक्षा का प्रस्ताव पारित और प्रेषित किया गया। हिन्दू समुदाय के विरोध के कारण संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर मेस्टन द्वारा 5 नवम्बर 1914 को हरिद्वार में आयोजित हिन्दू समुदाय के सम्मेलन में गंगा रक्षा समझौता हुआ।

पंडित मदनमोहन मालवीय जी द्वारा सुनिश्चित हुई गंगा की अविरल धारा-अंग्रेजी सरकार द्वारा नवम्बर 1914 के समझौते का उल्लंघन का गंगा को बांधने का पुनः प्रयास किया गया। 18 एवं 19 दिसम्बर 1916 को हरिद्वार में महाराजाओं के साथ धर्माचार्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उग्र स्वरूप भांपकर अंग्रेजी सरकार पुनः झुकी और 1916 का समझौता 26 नवम्बर 1917 को जारी हुआ। इस समझौते के मुख्य बिन्दु द्वारा इस बात की गारण्टी दी जाती है कि गंगा की अविरलता जारी रहेगी। चैनल नम्बर एक से न्यूनतम 1000 क्यूसेक जल प्रवाह होगा। गंगा के प्राकृतिक धरातल से खुला प्रवाह जारी रहेगा। हिन्दू समुदाय की पूर्व सहमति के बिना इस सम्बंध में कोई अन्य कदम नहीं उठाया जाएगा। नरौरा बैराज में भी 17 जनवरी 1918 के आदेश के द्वारा 5 फीट का स्वतन्त्र प्रवाह गंगा में तल से ऊपर तक छोड़ा गया जो आज भी कायम है।

बन चुके बांधों के परिणाम-मनेरी भाली सुरंग परियोजना फेज़ 1, फेज़ 2 के परिणामस्वरूप मनेरी से धरासू के बीच भागीरथी का लगभग 44 कि.मी. मार्ग सूख गया है। धरासू से टिहरी तक 45 वर्ग कि.मी. की झील है, प्रवाहमान भागीरथी नहीं है। सिरोद गांव के 7 जल-स्रोत सूख चुके हैं। उपजाऊ भूमि बंजर होने लगी है। केवल मनेरी भाली फेज़ 2 के कारण ही 13 गांव के जल-स्रोत सूख गए हैं। कैरीगाड़ जल-स्रोत सूखने के कारण 10 गांव की कृषि-भूमि बरबाद हो गई। ग्राम भुक्की, पाला व देवली के जल-स्रोत समाप्त हो गए। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण-काल में विशाल परिमाण में कृषि-भूमि में सीमेन्ट बहा, उसने भूमि के उपजाऊपन को समाप्त कर दिया। शीतलता में जल-प्रवाह घट गया। मानसून काल में गाध बढ़ गई।

उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र में मात्र 7 प्रतिशत खेती योग्य भूमि शेष है। नदी किनारे भी भूमि प्रायः सबसे अच्छी उपजाऊ होती है। बाँधों में ये ही ज़मीनें या तो डूब रही हैं, या बाँध-सम्बन्धी अन्य कार्यों में जैसे बाँध की कालोनी आदि कार्यों में जा रही हैं।

धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यों जैसे स्नान पर्व, दाह संस्कार, नदी पूजन, आदि के लिए नदी में पानी नहीं रहता। सूखी नदी के कारण नदी के किनारे रहने वालों को खासकर पशु-पालकों को पानी नहीं मिल रहा है। ■

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन का आधार

■ प्रो. बाळ आपटे

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आन्दोलन विश्व जनमत की वर्तमान अवस्था के सन्दर्भ में और विशेषकर विश्व छात्र समुदाय के मत के संदर्भ में अरण्यरोदन ही है। आधुनिक विश्व एक अनवरत तनाव की अवस्था में है। द्विपक्षीय झगड़ों, आकस्मिक लड़ाइयों आदि से विश्व वर्गों, समूहों एवं विभिन्न गठजोड़ों में बंट चुका है। विश्व कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति संरचना के आधार पर सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इससे प्रभुत्व तथा राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भों में शोषण के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की जन्यशक्तियों ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं और मानवीय गरिमा को पदच्युत करके महत्वहीन बना दिया है और विश्व भर की सरकारों और जनता ने मानवीयता पर किये जा रहे इस प्रहार पर अपनी प्रतिक्रिया ईमानदारी से नहीं बल्कि सुविधानुसार व्यक्त की। इस प्रक्रिया में मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लक्ष्य को सदा हानि पहुंची है। और ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व मत इस बारे में चिन्तित ही नहीं है।

हम देखते हैं कि सरकारें उचित या अनुचित ढंग से इन मौलिक विषयों पर ऐसा रूख अपनाती हैं जो उनकी अपनी विचारधाराओं के विपरीत हैं। वस्तुत: हमने शक्तिशाली लोकतन्त्रीय सरकारों द्वारा लोकतन्त्र के नाम पर नग्न तानाशाही और क्रूरता का समर्थन करने का दृश्य देखा है। सभी सामाजिक कम्युनिस्ट तानाशाह सरकारों की स्थापना लोकतन्त्र के नाम पर की गई थी और लोकतन्त्र के नाम पर ही उनका निरन्तर पोषण हो रहा है। यहां तक कि हमारे देश की भूतपूर्व तानाशाह प्रधानमन्त्री भी लोकतन्त्र की दुहाई देती थी। मैं यहां उस दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी सरकार को अपनाना चाहिए। मैं विश्व की जनता के संदर्भ में बात कर रहा हूं।

• दृष्टिकोण

इसलिए समय है कि विश्व समुदाय प्रत्येक व्यक्ति ने सम्मान और स्वतन्त्रता के अविभाज्य मौलिक अधिकारों के साथ जन्म लिया है। यह महत्वहीन है कि इन अधिकारों को किसी देश के संविधान में स्थान मिला है या नहीं। यह भी महत्वहीन है कि किसी एक निश्चित समय पर किसी देश के लोगों के पास उन अधिकारों को लागू करने एवं उनकी रक्षा करने का तन्त्र उपलब्ध है अथवा नहीं। किसी देश के राजनीतिक ढांचे में किसी तकनीकी अथवा वास्तविक त्रुटियों के रहने पर भी प्रत्येक व्यक्ति में से अधिकार निहित होते हैं। यही समय है कि सभी यह स्वीकार करें कि इन अधिकारों की सुरक्षा एवं आदर का प्राविधान होना चाहिए।

क्या विश्व जनमत इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई योगदान दे सकता है? इसका उत्तर निश्चित रूप से सकारात्मक है। इस दिशा में विश्व जनमत को तैयार करने का सम्मिलित प्रयास किया जाना चाहिए। हमारा विश्वास है कि विश्व का छात्र समुदाय इस विषय में अत्यन्त प्रभावी भूमिका निभा सकता है। विश्व भर के छात्र एक पृथक सामाजिक वर्ग के रूप में उभरकर सामने आये हैं और पिछले 20 वर्षों में छात्रों की कार्यशीलता ने उनके अपने-अपने देशों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह युवा समुदाय इस आन्दोलन की अग्रिम पंक्ति में रह सकता है।

विश्व जनमत के निर्माण के लिए एक 'विश्व छात्र मंच' की स्थापना उचित होगी। इस मंच का सरकारों से और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यह मंच सभी प्रकार के वर्गों एवं संगठनों की राजनीति से ऊपर रहेगा। यह मंच युवा एवं शिक्षित वर्ग की चेतना को ललकारेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र मंच की स्थापना के लिए कुछ प्रयास पहले भी किए गए थे पर जिस तरह के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद से इन प्रयासों को प्रेरणा मिलती, वह स्वयं अपने उद्देश्यों और प्रयासों में असफल रहा। इन प्रयासों के जिस प्रकार से

विचारात्मक अर्थ लगाये गए अथवा राजनीतिक हितों को दृष्टि में रखकर उन्हें लागू किया गया, उनके कारण यह प्रयास एक 'शक्ति समूह' के प्रयास बन गए जो विश्व अथवा विश्व के किसी एक भाग में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा हो। हम इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद को अस्वीकार करते हैं जो बाह्य नियन्त्रण को स्थापित करता हो क्योंकि यह उन आधारभूत मूल्यों के पूर्णत: विरुद्ध है जिनका हम समर्थन करते हैं अर्थात् 'व्यक्ति का सम्मान'। हम किसी भी प्रकार के एकाधिकारवाद या साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता में हमारा विश्वास है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रीयतावादी संगठन है। यह संगठन अनुभव करता है कि विश्व की सभी राष्ट्रीयतावादी शक्तियां एक ऐसे विश्व का निर्माण कर सकती है जहां व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा हो, व्यक्तिगत सम्मान का आदर हो और व्यक्ति के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों का उपयोग किया जाए।

क्या हम विश्व भर के छात्र ऐसी घोषणा कर सकते हैं कि मौलिक स्वतन्त्रताएं अपरिवर्तनीय हैं? क्या हम सिद्ध कर सकते हैं कि समतापूर्ण समाज की स्थापना मानवीय अधिकारों की सुरक्षा से विरोध नहीं रखती? क्या हम सिद्ध कर सकते हैं कि मनुष्य की रोटी और कपड़े की आवश्यकताओं को उचित ढंग से पूरा करते हुए ऐसी उचित परिस्थितियां भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं जिसमें स्वतंत्रता तथा विरोध रखने का अधिकार प्राप्त हो? क्या हम इस धारणा का पर्दाफाश कर सकते हैं कि किसी विकासशील देश के लिए रोटी और स्वतन्त्रता साथ-साथ नहीं रह सकते? *(राष्ट्रीय छात्रशक्ति: अगस्त 1978)*

अभाविप द्वारा तेलंगाना राज्य की मांग के समर्थन में आयोजित रैली में तेलंगाना क्षेत्र के दस जिलों से एक लाख दस हजार की संख्या में छात्र उपस्थित हुए। इस रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा। संकल्प लेते हुए।

अभाविप द्वारा आयोजित रैली में उपस्थित अपरिमित छात्र समुदाय

आत्महत्या का मूल कारण- वर्तमान शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था है

देश में बढ़ रही छात्रों की आत्महत्या को मद्देनजर रखते हुये राजधानी दिल्ली में पहली बार 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' द्वारा मालवीय स्मृति भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में आयोजित 'छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृति कारण और निदान' विषय पर परिचर्चा संपन्न हुई।

परिचर्चा को संबोधित करते हुये 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' के अध्यक्ष श्री दीनानाथ बत्रा ने कहा कि जो आत्महत्या हो रहा है वह वातावरण में असंतुलन मानसिकता का परिचायक है। क्रोध के वशीभूत होकर जब आदमी कोई कार्य करता है तो चाहता कुछ और है, और कर कुछ और देता है, सोचता कुछ है, हो कुछ और जाता है, लिखता कुछ लिख कुछ जाता है। व्यक्ति से बाहर बहुत बड़ा सृष्टि है उस सृष्टि से अगर हमारा तारतमय लगाव नहीं होता है तो ये आत्महत्या होती है।

वहीं नरेन्द्रजीत सिंह रावत, महामंत्री, विद्या भारती ने कहा कि आज जो चारों ओर शिक्षा का वातावरण है वह काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या को त्याग कर प्रकृति, देश और समाज को अपनी योगदान से उन्नत बनाएं ऐसी न होकर स्वकेंद्रित हो जाना ही आत्महत्या का कारण है। सुबह से रात्रि तक घर की जो वातावरण है उसमे माता-पिता बच्चों के लिये समय नहीं देते। उन्हें धाय पालती है वे धनार्जन में व्यस्त रहते हैं। बच्चा क्या करे? क्या चाहता है? इसकी परवाह नहीं। मूल्यों के बारे में क्या कमिटमेंट हो? इसके बारे में समाज और परिवार के लोग सोचने को तैयार नहीं है।

वहीं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक श्री एन. के. चड्ढा ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के लक्षण को बताते हुये कहा कि 10 में से 8 बच्चा सुसाईड करने से पहले इंफॉर्म कर देता है जिसके सिम्टम पर ध्यान देना चाहिए।

1) लाइफ में क्या है? क्यों लोग बेकार का जीते हैं?

2) खाने के तरीके में बदलाव आना।

3) पसंद के खाने व सब्जी को पसंद ": करना।

4) दैनिक व्यवहार में बदलाव आना यथा 6 बजे जगने वाला 9 बजे जगता हो, टीवी देखता था अब नहीं देखता हो

5) दोस्तों से दुराव, समाजिक गतिविधियां से लगाव नहीं यथा किसी शादी पार्टी या उत्सव में जाना

6) हॉबी में कमी आना

7) ऐसा रिस्क लेना जो अनावश्यक हो

8) किसी नजदीकी संबंधी की मृत्यु को अधिक दिन तक याद रखना उसे बार-बार याद करना

9) पढ़कर क्या होगा? पैकेज से क्या लेना इत्यादि

10) मनोवृतियों में बदलाव

ये सब माता-पिता, परिवार, शिक्षक और समाज के बीच आत्मीय संबंध से दुराव का कारण है।

परिचर्चा को संबोधित करते हुये समाजसेवी विजेंद्र गुप्ता ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुये कहा कि सरकार को शिक्षा को व्यवसायीकरण से दूर करना चाहिए। मैकाले की शिक्षा नीति इन डिप्रेशन का बड़ा कारण है। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुये पूर्व डुसू अध्यक्षा श्रीमती मोनिका अरोड़ा ने कहा कि इस धरती पर तरह-तरह के फूल है उनके रंग-रूप-गंध अलग- अलग है। पेड़ों के आकार-प्रकार मे विविधता है। लता मंगेशकर और सचिन के माता-पिता उन्हें पढ़ने के लिये प्रेशर देते तो वे आज स्टार न बनते। हम बच्चे से स्नेह करें, आशीष दें, प्यार करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करें। हर व्यक्ति का अलग-अलग मिष्ठान होता है।

वहीं अभाविप के प्रदेश मंत्री श्री आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि आज छात्रों का रैंगिग होना, दूसरे बच्चें से तुलना करना, बहुत ज्यादा अपेक्षा पालना, परिवारिक समस्या, अत्यधिक आशा के कारण बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। इसका एकमात्र कारण विदेशी शिक्षा नीति का होना है।

परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री सुरेश गर्ग, प्रधानाचार्य, दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, ने कहा कि हम अपने महत्वाकांक्षा को बच्चे के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डालते है, जिसे बच्चा यह सोचना कि माता-पिता मेरे प्रति अधिक

आशा और अपेक्षा रख रहे है और उसमें वह कमतर पाता है फलस्वरूप वह आत्महत्या कर लेता है।

जो हम अपने मन की बात आपस में शेयर करते थे वह न रहा। आज के टीवी ने सब छिन लिया। बच्चों का बचपन बना रहे और उसका अकेलापन दूर हो इसके लिये अगर हम आधा घंटा समय दे तो बहुत हद तक उनके अंदर उत्साह भर सकते हैं। मिलने-जुलने की प्रवृति को बढ़ानी होगी।

इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' के श्री अतुल कोठारी ने कहा कि स्कूल अच्छी शिक्षा तो दे रही है पर शायद सही दृष्टिकोण नहीं दे पा रही है। आत्महत्या का मूल कारण आज की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था है। साथ ही छोटा व एकल परिवार भी इसका कारण है। प्रतिस्पर्धा और अति भौतिकतावाद भी बहुत बड़ा कारण है। जबतक देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, देश का परिवार नहीं बचेगा, देश की संस्कृति नहीं बचेगी। मैकाले ने पहला काम भाषा में बदलाव किया। हमें देश को बचाना है तो पहले भाषा का पुनरुत्थान करना होगा फिर शिक्षा व्यवस्था को भारत के अनुरूप करना होगा। विद्यालय में ऐसी वातावरण की व्यवस्था हो जिससे तनाव न हो यथा योग, आसन, और प्राणायाम की व्यवस्था हो। विद्या भारती द्वारा ऐसा प्रयास इसका उदाहरण है।

एक ऐसा प्रारूप पत्रक तैयार किया जाना चाहिए कि परीक्षा के समय अभिभावक क्या करें? छात्र क्या करे? शिक्षक क्या करें? ऐसे मनोवैज्ञानिकों एवं विद्वानों द्वारा सुझाव लेकर उन्हें वितरित किया जाये। ■

दिल्ली विश्वविद्यालय के मनचले शिक्षकों के खिलाफ अभाविप का विरोध प्रदर्शन

देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में आज भी छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जिस प्रकार गत कुछ समय से विश्वविद्यालय में कुछ मनचले शिक्षकों के द्वारा यौन-उत्पीड़न की शिकायत मिल रही है। उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने KMC College से VC - office तक विरोध मार्च आयोजित किया ।

अरविंदो कॉलेज, अम्बेडकर कॉलेज, KMC, जियोलोजी डिपार्टमेन्ट, जूलोजी डिपार्टमेन्ट, बुद्धिज़म डिपार्टमेंट आदि स्थानों पर होने वाले यौन-शोषण की घटनाओं की विद्यार्थी मण्डल ने 12-सूत्री माँगो का ज्ञापन सौंपा। जिसका नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष निहारिका शर्मा प्रतिनिधि मण्डल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नीतू डबास, डूसू उपाध्यक्ष प्रीति वडेरा, अपूर्वा, पूर्णिमा शर्मा, ज्योति शुक्ला, श्री

तेजा थे। प्रतिनिधियों ने निम्न प्रमुख माँगे रखी।

1. अरविंदो कॉलेज में डा.नारंग ने

हल्ला बोल

जिन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कोर्ट का नोटिस भेजा है। प्रशासन उस पर तुरंत कार्यवाही करें।

2. प्रो. के.टी.एस सराओं पिछले तीन साल से लंबित है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उस पर तुरंत कार्यवाही करें। और उस व्यक्ति को कालिंदी कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का सदस्य बनाने का भी रोष प्रकट किया।

3. University एक Apex Committee के माध्यम से Monitring Committee बनाए, जो इस बात का ध्यान रखें कि सुनवाई की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से एक महीने में दी जाए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् सदैव छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण की माँग करती है। आज के इस आन्दोलन को यहीं समाप्त करते हुए, आगामी नए शैक्षिण-सत्र में जन आन्दोलन का स्वरूप देकर, विचार-गोष्ठी, सम्मेलन, जागरुकता अभियान, हस्ताक्षर अभियान आदि के रूप में इस आन्दोलन को आगे बढ़ाऐंगी। ■

मंच पर (बाएं से) उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज, श्रीश्री रविशंकर जी महाराज, महामण्डलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि, लोकसभा के उपसभापति श्री करिया मुंडा, राज्यसभा की पूर्व सभापति श्रीमती नजमा हेप्तुल्ला

राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जल्द से जल्द बने

-मोहन भागवत, *सरसंघचालक, रा.स्व.संघ*

हरिद्वार में फिन्स के तत्वावधान में 9 एवं 10 मार्च, 2010 को राष्ट्र रक्षा सम्मेलन (नेशनल सिक्युरिटी कन्वेंशन) का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश के हर कोने से गण्यमान्य अतिथि एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसमें रक्षा विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, खुफिया एजेन्सी तथा परराष्ट्र एवं गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी, वैज्ञानिक, संशोधक, आर्थिक, कृषि, खाद्य, परमाणु संशोधन आदि अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ खासकर उपस्थित रहे। महिलाओं की भी लक्षणीय उपस्थिति सम्मेलन में रही। अंतरराष्ट्रीय ख्याति के परमाणु वैज्ञानिक तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर इस सम्मेलन के संयोजन समिति के सम्मानीय सदस्य बने तथा सपरिवार पूर्ण समय सम्मेलन में उपस्थित रहे।

इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' तथा महामण्डलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि के पावन हाथों से हुआ। इस समय मंच पर तटरक्षक दल के पूर्व महाप्रबन्धक डॉ. प्रभाकरन पालेरी, वाईस एडमिरल रमण पुरी, एयर वाईस मार्शल एच.पी. सिंह, फिन्स के अध्यक्ष ले.जन. शेकटकर, उपाध्यक्ष वी.एम. पाटिल, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री वी.एस. कोकजे, फिन्स के महासचिव बाल देसाई एवं श्री इन्द्रेश कुमार उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि महाराज ने 'शस्त्रेण रक्षति राष्ट्र' इस मंत्र की याद दिलाकर सम्मेलन को उचित दिशा दी तथा डॉ. काकोडकर ने राष्ट्र रक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं पूरे समाज की होती है, इस मुद्दे की तरफ उपस्थित प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मा. मोहनराव भागवत, स्वामी अवधेशानन्द जी महाराज, स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज, श्रीश्री रविशंकर जी महाराज, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेमकुमार धूमल, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', लोकसभा के उपसभापति श्री करिया मुंडा, राज्यसभा की पूर्व सभापति श्रीमती नजमा हेप्तुल्ला, फिन्स के सभी चैप्टरों के अध्यक्ष आदि गणमान्य महानुभव मंच पर उपस्थित थे। इस समय पर मा. मोहनराव भागवत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के गम्भीर विषय पर देश के राजनैतिक माहौल की उदासीनता पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। तिब्बत की भूमि में घास का पत्ता भी नहीं उगता, ऐसी भाषा करने वाले तथा हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा कश्मीर का मुद्दा यू.एन. जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ पर ले जाने की मानसिकता रखने वाली राजनीतिक मानसिकता के हाथों देश की सुरक्षा सुरक्षित नहीं हो सकती, ऐसी चेतावनी भागवतजी ने दी। इसी सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध पहलुओं पर कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए। इनमें जम्मू-कश्मीर में दशकों से पनप रहे आतंकवाद तथा अलगाववाद को समाप्त कर वहाँ के हिन्दुओं की वापसी सुनिश्चित करना, पूर्वांचल की सीमाओं का सामरिक महत्त्व ध्यान में लेते हुए वहाँ की जनजातियों की सांस्कृतिक अस्मिता को बिना ठेस पहुँचाए उन्हें देश के मुख्य प्रवाह में सम्मिलित करने का प्रयास करना, धर्मांतरण पर रोक लगाना, हिमालय के क्षेत्र से गुजरने वाली सीमाओं का तथा इस परिसर का पर्यावरणीय रक्षण करना, देश के एक तिहाई क्षेत्र में उधम मचाने वाले माओवादी तथा नक्सलियों को कड़े हाथों से निपटना एवं समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जल्द से जल्द बनाने का केन्द्र सरकार से आग्रह करना आदि प्रस्ताव इस सत्र में पारित किए गए। ■

परिचर्चा

छात्र-आत्महत्या : कारण एवं निदान

आये दिन समाचार पत्रों में मनोनुकूल अंक नहीं मिलने के कारण या कम प्रतिशत मिलने के कारण छात्रों के द्वारा आत्महत्या करने की खबरें देखने को मिल जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है...? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ...स्वयं छात्र, अभिभावक, स्कूल प्रशासन, कालेज प्रशासन, वर्तमान शिक्षा पद्धति या फिर सरकार की अदूरदर्शी नीतियां ...? इस मसले पर वेदप्रकाश ने विभिन्न लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश की।

1) श्रीमती करुणा शुक्ला (शिक्षिका, यस मेमोरियल, नोएडा)

कारण : बच्चों को माता-पिता का अपेक्षित सहयोग और समय नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से बच्चे ये कदम उठाते हैं! इसके लिए एक हद तक टीवी सीरियल भी जिम्मेदार हैं और विद्यालयों में अच्छे शिक्षकों का भी अभाव होता है जिसके कारण से उनके मनोनुकूल परिणाम नहीं मिल पाता है और बच्चे आत्महत्या को उन्मुख होते हैं।

निदान : माता-पिता बच्चों के लिए समय निकालें तथा किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी दें और पूरे देश में एक सामान प्रणाली होनी चाहिए।

2) आशा चौहान (गृहिणी)

कारण : बच्चों का कोई भी लेबल हो माता-पिता का दबाव रहता है कि उनके बच्चे अधिक से अधिक अंक लायें। टीवी सीरियल, सोशल साईट तथा अकेलेपन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

निदान : माता-पिता बच्चे के रुझान के अनुसार शिक्षा दें। वर्तमान प्रणाली बढ़िया है...इसी में कुछ सुधार कर बेहतर बनाया जाय।

3) सक्षम गुप्ता (छात्र 10वीं, मार्डन स्कूल, नोएडा)

घर का मां-बाप का प्रेशर अधिक होता है तथा डाट से बचने के लिए बच्चे आत्महत्या को मजबूर होते हैं। मूल्यांकन पद्धति में दोष है इसमें सुधार करना चाहिए।

4) शशि गुप्ता (छात्रा-बी.ए. दिल्ली विश्वविद्यालय)

मां-बाप के प्रेशर के कारण बच्चे डरे होते हैं... तथा टीचर के भी ताने न सुनने को मिले इसीलिए बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं।

5) अमन चावला (छात्र-9वीं बी, ए.पी.जे., नोएडा)

छात्रों में डर होता है कि अच्छे स्कूलों में नामांकन नहीं होगा इसीलिए वे ऐसा कदम उठाते हैं! दूसरा मध्यम वर्ग के अभिभावक के सपने अपने बच्चों से कई अधिक गुना होते हैं जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। माता-पिता को अधिक डांट-डपट नहीं करनी चाहिए समझाना चाहिए।

अधिक से अधिक प्रेटिकल के आधार पर नम्बर मिलने चाहिए न कि 3 घंटे के परीक्षा के आधार पर।

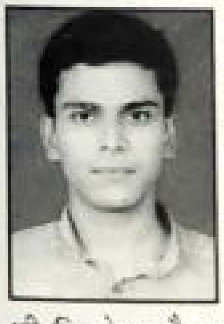

6) जैनेन्द्र कुमार (छात्र-मॉस मीडिया प्रथम वर्ष, जामिया मिलिया इस्लामिया)

आत्मनिन्दित मानसिकता अधिक घर कर जाने के कारण ऐसा होता है... इसके लिए नकारात्मक सोच भी जिम्मेदार है तथा वर्तमान शिक्षा तंत्र हमारे अनुकूल नहीं है... स्कूलों में भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार होता है...

निदान : व्यक्तिगत स्तर पर तथा स्कूलों में भी कासिलिंग की व्यवस्था होने चाहिए। तथा कालेजों में योग शिक्षा अनिवार्य किए जाने चाहिए। इससे आत्मचेतना जागृत होगी और छात्र आत्महत्या से बच पाएंगे।

7) अभिषेक कुमार आजाद (छात्र-हिन्दी पत्रकारिता, डीयू)

अभिभावक की अपेक्षा कुछ अधिक ही होती है... तथा बच्चों पर दबाव भी अधिक होता है जिसके कारण से बच्चे ऐसा करते हैं...

ग्रेडिंग पद्धति एक विकल्प जरूर हो सकता है... फिर भी पूरी तरह त्रोक लग जाएगी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।

8) प्रवीर कुमार (सिविल प्रतियोगी छात्र, नोएडा)

अधिकांश 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चे ही आत्महत्या करते हैं... इसके लिए अभिभावक की महत्वाकांक्षा विशेष रूप से जिम्मेवार होती है... ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम रह ही जायेगा...

हां इससे फेल होने वाले बच्चे को जरूर फायदा होगा।

9) संदीप सिंह (छात्र, आइ. आर. जे.एन.यू.)

वर्तमान शिक्षा पद्धति बच्चों को दबाव में लाता है... प्रतिशत अच्छे नहीं होंगे तो नामांकन अच्छे कालेजों में नहीं होगा... इसलिए भी बच्चे प्रेशर में आकर ऐसा कदम उठाते हैं... नामांकन के लिए इंट्रेंस एग्जाम हो लेकिन अंकों की बाध्यता न हो।

10. नोमिता वंदना (छात्रा-जे.एन.यू.)

समाज एवं परिवार का दबाव इसे लिए काफी हद तक जिम्मेवार है... प्रतियोगी भाव भी एक कारण है... आपस में होड़ मचा है...

बच्चों का कासिलिंग होने चाहिए।

11) दिन चेंग का बरुआ (छात्रा-रेडियो और टीवी पत्रकारिता, आई.आई.एम., दिल्ली)

रूचि के अनुसार बच्चों के पढ़ने देना चाहिए न कि माता-पिता की रूचि के अनुसार। मार्किंग सिस्टम नहीं होने चाहिए...

ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने से कुछ सुधार हो सकता है।

12) सौम्या नवी (छात्रा-जामिया मिलिया इस्लामिया)

अभिभावक के दबाव तथा कम्पीटीशन का भाव भी इसके लिए जिम्मेदार है...

स्कूलों तथा कालेजों में सीधे नामांकन होने चाहिए... न कि प्रवेश परीक्षा के द्वारा।

13) सुमित डे तथा मनीष सिंह, छात्र बीटेक (सिविल इंजीनियरिंग), स्काइलाइन, ग्रेटर नोएडा

पूरे साल पढ़ते नहीं परीक्षा के समय जाकर केवल पढ़ते हैं तो ऐसा होगा ही, मां बाप के साथ बच्चे भी जिम्मेदार हैं। पढ़ाई छोड़कर अन्य चीजों में आज के छात्र ज्यादा दिमाग लगाते हैं, छात्रों के अंक सार्वजनिक नहीं करने चाहिए...घरेलू स्तर पर तथा व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें बता देना चाहिए। ■

कविता

मेघ फूलों की प्रतीक्षा

■ पुरुषोत्तम पंचोली

बसी चहरे
झिड़के हुए व्यक्तित्व
हीन बोध से ग्रसित
काया का ठोना भी
जिन्दगी नहीं है!
लापर वाही से
थूक गए पान के पीक जैसे
बरदरंग होकर जीना भी
क्या जीवन है?

पराश्रयी पौधे-सा
दूसरों के पेट का अन्य कुरेदना
तुम्हारी 'जिर्जीवणा' बन गई है
आँसू!
जिन्हें पीना है
गम केवल यारे बन सकेंगे
और फिर

अभिशप्त जिन्दगी
मातम ग्रस्त हो जाये
कि इससे पूर्व
उठो!
कर्मठता के शौर्यशाली
समार्थवान अश्वरथ पर
सवार हो निकल पड़ो
कि नये सिंह पथ पर
कि क्षितिम पर
मुस्कराते मेघ-फूल
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के लोकार्पण समारोह को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिलिंद मराठे एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील अम्बेकर

अभाविप की तेलंगाना की मांग के समर्थन में रैली

संकल्प लेती छात्राएं

रैली को सम्बोधित करती हुई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज

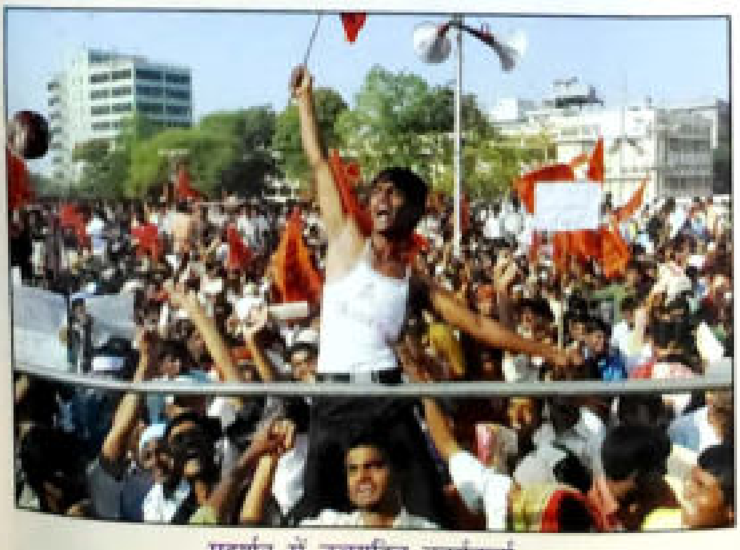

प्रदर्शन में उत्साहित कार्यकर्ता

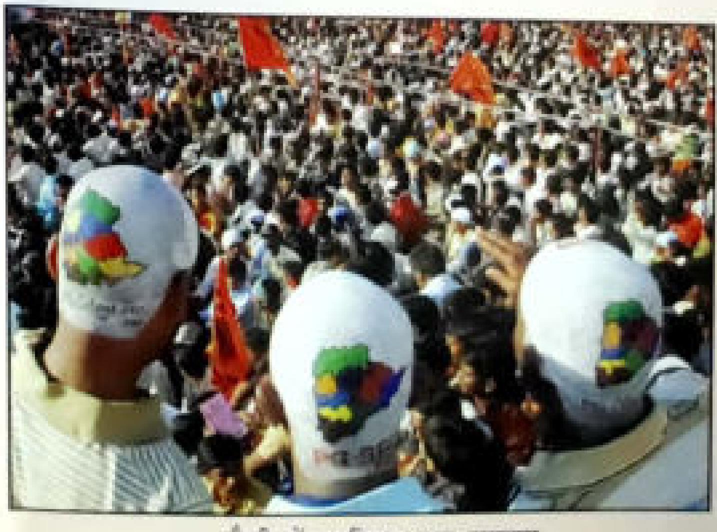

रैली में उपस्थित छात्र समुदाय

आर.एन.आई. नं. 32464/78

सामाजिक समरसता के अग्रदूत डॉ. भीमराव अम्बेडकर

(14 अप्रैल, 1891-6 दिसम्बर, 1956)